ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

ओवीआरएल
OVRL
ONGC VIDESH
ROVUMA LIMITED

प्रथम
वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

अंतर्वस्तु

01 कंपनी सूचना

02 निदेशक मंडल

03 अध्यक्ष का अभिभाषण

04 एजीएम की सूचना

09 बोर्ड की रिपोर्ट

20 अनुलग्नक

28 निगमित अभिशासन रिपोर्ट

34 सीएजी का पत्र

36 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

46 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

कंपनी सूचना :

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673

पंजीकृत कार्यालय
प्लॉट. 5ए–5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज,
नई दिल्ली 110070, भारत
दूरभाष : 91 11 26754316
ई–मेल : secretariat@ovrl.in

निदेशक मंडल :

श्री विवेकानंद, अध्यक्ष
श्रीमती रेखा मिश्रा, निदेशक
श्री मधुकर मोहन, निदेशक

कंपनी सचिवः

श्रीमती निशा ढींगरा

सांविधिक लेखा परीक्षकः

मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं. 06591एन

बैंकर्स :

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक मंडल

श्री विवेकानंद, अध्यक्ष
(15.04.2019 – 19.05.2020
11.12.2020 – आदिनांक)

श्रीमती रेखा मिश्रा
(16.03.2020 – आदिनांक)

श्री मधुकर मोहन
(11.12.2020 – आदिनांक)

पूर्व निदेशक

श्री आलोक कुमार गुप्ता
(12.03.2020 – 11.12.2020)

श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी
(15.04.2019 – 19.05.2020)

श्री चांद मल जैन
(दिनांक 15.04.2019–01.02.2020)

श्री राधाकृष्णन गुहान
(01.02.2020 – 11.12.2020)

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल) को 15 अप्रैल, 2019 को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य रोवुमा ब्लॉक मोजाम्बिक परियोजना एरिया 1 में एलएनजी परियोजना अपतट का विकास कर 64 ट्रिलियन घन फीट दोहन योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों का विमुद्रीकरण करना था। ओएनजीसी विदेश द्वारा 01 जनवरी 2020 से 10 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार इस कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

एरिया 1 में पांच खोज क्षेत्र (क्षेत्र) हैं, नामतः प्रोस्परिडैड, गोल्फिन्हो–अटुम, ओर्का, टुबाराओ और ट्यूबरो–टाइग्रे। प्रमुख गैस संसाधन दो क्षेत्रों में स्थित हैं अर्थात् प्रोस्पेरिड और गोल्फिन्हो–अटुम। जून 2019 में अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) की घोषणा के बाद, एरिया 1 कंसोर्टियम वर्तमान में दो ट्रेन जिनकी क्षमता 13.12 एमएमटीपीए है, की एलएनजी सुविधा के निर्माण के माध्यम से अपतटीय ब्लॉक में गोलफिन्हो–अटुम क्षेत्र की प्रारंभिक विकास योजना को क्रियान्वित कर रहा है। प्रारंभिक दो ट्रेन एलएनजी परियोजना से प्रथम एलएनजी वर्ष 2024 में अपेक्षित है।

प्रिय शेयरधारकों, वर्ष 2020 अप्रत्याशित कोविड –19 स्थिति और इसके साथ आए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण अवशवर्ती/अशांत वर्ष रहा है, परंतु इसने आपकी कंपनी की भावना को बाधित नहीं किया है। हम अपनी योजनाओं पर फिर से जोर दे रहे हैं और निर्धारित समय–सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहें हैं।

इस परियोजना ने कई कोविड–19 मामलों, चाहे वह परियोजना स्थल पर हो या उससे संबंधित हो, मोजाम्बिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर इसके प्रबंधन पर काम किया। हम वर्तमान में वर्ष 2024 में प्रथम एलएनजी देने के लिए बिल्कुल सही दिषा में जा रहें हैं, हालांकि हम महामारी द्वारा विश्व स्तर पर पैदा हुई कठिनाईयों और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं ओवीआरएल की नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा ओवीआरएल को दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपकी कंपनी भी इसके सभी हितधारकों के लिए प्रशंसा की अपनी गहरी भावना का उल्लेख करना चाहती है।

हम अपनी सफलता और गति को बनाए रखने / प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले कुछ वर्षों में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

22.12.2020
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(विवेकानंद)
अध्यक्ष

प्रथम वार्षिक आम बैठक की सूचना

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673
पंजी. कार्यालय : प्लॉट सं. 5ए–5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, दक्षिण पष्चिम दिल्ली–110070
ई–मेल : secretariat@ovrl.in दूरभाष : 011 – 2675 4316

सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल) के सदस्यों की **प्रथम वार्षिक आम बैठक** का आयोजन **29 दिसंबर 2020 को मंगलवार के दिन प्रातः 11:00 बजे प्लॉट सं. 5ए–5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070** स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कार्यवाही संपादित करने हेतु आयोजित किया जाएगा :

सामान्य कार्यवाही :

मद सं. 1

निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित कर संबंधित दस्तावेजों के साथ अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और इसका अंगीकरण करना :

''यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों को, बोर्ड रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एतद्द्वारा प्राप्त किया जाए, विचार किया जाए तथा अंगीकृत किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है तथा अंगीकृत किया जाता है।''

मद सं. 2

निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित कर लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारण करना:

यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों को, जो भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाएं, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए संदेय पारिश्रमिक का निर्णय करने तथा उसे निर्धारण करने हेतु कंपनी के निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत करने के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाए और एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।''

विशेष कार्यवाही:

मद सं. 3

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को अंगीकृत करके श्रीमती रेखा मिश्रा की निदेशक के रूप में नियुक्ति :

''यह संकल्प किया जाता है कि श्रीमती रेखा मिश्रा (डीआईएन 08725208) को, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार दिनांक 16.03.2020 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में पदाभिहित किया गया था, जिनके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए लिखित में उनके नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त हो सकेंगे।''

मद सं. 4

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को अंगीकृत करके श्री विवेकानंद की निदेशक के रूप में नियुक्ति :

''यह संकल्प किया जाता है कि श्री विवेकानंद (डीआईएन 07566552) को, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार दिनांक 11.12.2020 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में पदाभिहित किया गया था, जिनके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए लिखित में उनके नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त हो सकेंगे।''

मद सं. 5

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को अंगीकृत करके श्री मधुकर मोहन की निदेशक के रूप में नियुक्ति :

''यह संकल्प किया जाता है कि श्री मधुकर मोहन (डीआईएन 08993015) को, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार दिनांक 11.12.2020 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में पदाभिहित किया गया था, जिनके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए लिखित में उनके नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त हो सकेंगे।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ताक्षर
निशा ढींगरा
कंपनी सचिव

22 दिसंबर 2020
नई दिल्ली

टिप्पणः

1. बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने के लिए हकदार सदस्य अपने स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अनुसरण में, परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सम्यक रूप से भरा हुआ परोक्षी प्ररूप अधिवेशन के प्रारंभ होने से अड़तालीस घंटे (48 घंटे) से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए।
2. उपर यथा उपवर्णित सभी विशेष कार्य मदों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, सुसंगत स्पष्टीकारक विवरण उपाबद्ध है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसरण में इस बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने के इच्छुक कॉरपोरेट सदस्यों से इस बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मत डालने के लिए ऐसे प्रतिनिधियों के नमूना हस्ताक्षर(रों) के साथ प्रासंगिक बोर्ड प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
4. वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने वाली किसी कार्यवाही मद के संबंध में कोई सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से मबतमजंतपंज/वअतसण्पद पर मेल भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. मार्ग मानचित्र सहित एजीएम के स्थान का संपूर्ण विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
6. संलग्न सूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज इस बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को कारोबार समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखे रहेंगे।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के अंतर्गत अनुरक्षित सांविधिक रजिस्टर कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए रखे हैं और यह एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध रहेंगो।
8. इस अधिनियम की धारा 139 सह पठित धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी के लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि, लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सदस्य सांविधिक अपेक्षाओं / कार्य के परिमाण / मुद्रास्फिति सूचकांक के कारण समनुदेशन के दायरे में परिवर्तन(नों), यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत वर्ष 2020–:21 (वित्तीय वर्ष 21) के लिए लेखा परीक्षकों को संदेय उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने और नियत करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में स्पष्टीकारक कथन

निम्नलिखित कथन संलग्न नोटिस में यथा सूचीबद्ध विशेष कार्यवाही से संबंधित सभी सारवान् तथ्य उपवर्णित करते हैं :

मद सं. 3,4 एवं 5 : निदेशकों की नियुक्ति

श्रीमती रेखा मिश्रा, ईडी–एचपीएफ–मोज ओएनजीसी विदेश, 16 मार्च 2020 से ओवीआरएल के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त की गयीं थी और सर्वश्री विवेकानंद – निदेशक (वित्त) – ओएनजीसी विदेश और मधुकर मोहन – आरपी–मोज ओएनजीसी विदेश, 11 दिसंबर 2020 से ओवीआरएल के बोर्ड में अपर निदेशक नियुक्त किए गए थे।

कंपनी अधिनियम की धारा 161 के अनुसार, उन्हें आपकी कंपनी के निदेशक के रूप में कंपनी की प्रथम एजीएम की तिथि तक पद धारित करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 152(2) उपबंधित करता है कि प्रत्येक निदेशक कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियुक्त किए जाएंगे। इसलिए, उनमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक कार्यवाही मदें क्रमशः मद सं. 3, 4 एवं 5 में रखे गए हैं।

कंपनी को सभी संबंधित निदेशक से संबंधित आवश्यक सूचना प्राप्त हो गए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है।

श्रीमती रेखा मिश्रा, श्री विवेकानंद और श्री मधुकर मोहन के पास, न ही उनकी व्यक्तिगत क्षमता में या उनके संबंधित कुटुंबों के साथ उनके पास कंपनी की कुल मत अधिकार का दो प्रतिशत या उससे अधिक मत अधिकार नहीं है।

संक्षिप्त विवरण

श्रीमती रेखा मिश्रा

श्रीमती रेखा मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और वे एक लागत लेखाकार हैं। वित्त एवं लेखा पेशेवर के रूप में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) में 35 वर्ष से अधिक सेवा के दौरान, उन्होंने सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले निवेश प्रस्ताव तैयार करना, कॉरपोरेट स्तर पर संविदा प्रबंधन, संयुक्त उद्यम (घरेलू और विदेशी) प्रचालन और प्रबंधन, कॉरपोरेट लेखा एवं लेखा परीक्षा और परियोजना निगरानी सहित विभिन्न भूमिकाओं काम किया है। वे वर्तमान में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में तैनात हैं। वे ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस के बोर्ड में भी एक निदेशक हैं।

श्री विवेकानंद

श्री विवेकानंद एक लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, वित्त में एमबीए और दिल्ली विश्वविद्यालय वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और कोष एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारित करते हैं।

श्री विवेकानंद के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रचालनों में अपस्ट्रीम तेल और गैस उद्योग में वित्त और लेखांकन पेशेवर के रूप में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे वर्ष 1984 में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुए और वित्त एवं लेखांकन गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने कोष, कराधान, जोखिम प्रबंधन, कारोबार विकास, विदेशी परियोजनाओं और विभिन्न अन्य कॉरपोरेट प्रकार्यों जैसे बजटीकरण, लेखांकन, आंतरिक लेखा परीक्षा, विपणन इत्यादि से संबंधित मुख्य वित्तीय समनुदेशनों को संभाला। श्री विवेकानंद ने एक प्रणालीगत दृष्टिकोण के माध्यम से कंपनी की कारोबार प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने पिछले 3 से 4 वर्षों में करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण जुटाने के वित्तीय अभियानों में भी मुख्य भूमिकाएं निभायीं। श्री विवेकानदं ने विभिन्न नेतृत्व और वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रमों में भी प्रतिभागिता की।

श्री मधुकर मोहन

श्री मधुकर मोहन, मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन) वर्तमान में ओएनजीस विदेश लिमिटेड, दिल्ली में मोजांबिक बिजनेस यूनिट के रिजनल प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हैं। वे यांत्रिक अभियांत्रिक स्नातक हैं और साथ ही प्रचालन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए डिग्री धारित करते हैं। वे पीएमआई, यूएसए से एक प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर हैं। उन्होंने एईई (उत्पादन) के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुए और विभिन्न अभितटीय परिसंपत्तियों और साथ ही अपतट के डब्ल्यूआईएस/बीएचएस प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने जून, 2016 से सितंबर, 2019 तक सीबीएम परिसंपत्ति, बोकारों के सतह प्रबंधक के रूप में सेवा की है और सीबीएम गैस की वाणिज्यिक बिक्री शुरू करने में सक्रिय रहे हैं। ओएनजीसी के तेल एवं गैस क्षेत्रों में इकतीस वर्षो से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ उनके पास तेल क्षेत्र प्रचालनों और इसके प्रबंधन पहलूओं की बहुत अच्छी समझ है।

निदेशक के रूप में उनकी क्षमता में श्रीमती रेखा मिश्रा, श्री विवेकानंद और श्री मधुकर मोहने के सिवाय, निदेशकों में से कोई भी निदेशक या उनके नातेदार, वित्तीय रूप से या अन्यथा, इस संकल्प में हितबद्ध नहीं हैं या इसमें कोई सरोकार नहीं रखते हैं।

श्रीमती रेखा मिश्रा, श्री विवेकानंद और श्री मधुकर मोहन की पृष्ठभूमि और अनुभव के आलोक में निदेशक मंडल यह मानता है कि कंपनी के निदेशक के रूप में उनको नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदनार्थ इन संकल्पों की संस्तुति करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ताक्षर
निशा ढींगरा
कंपनी सचिव

22 दिसंबर 2020
नई दिल्ली

एजीएम स्थल का मार्ग मानचित्र

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल/कंपनी) की वित्तीय और प्रचालनात्मक प्रदर्शन पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी महसूस हो रही है।

1.निगमन और व्यापार गतिविधियों की शुरूआत :

आपकी कंपनी को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश) द्वारा 15 अप्रैल, 2019 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गठित और कॉरपोरेट पहचान संख्या यू11201डीएल2019जीओआई348673 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रार के माध्यम से भारत सरकार में अधिनिगमित किया गया था। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ओएनजीसी द्वारा धारित 10 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) को अधिग्रहित और धारित करना और अपतटीय रोवुमा बेसिन में एरिया–1 ब्लॉक के लिए मोजांबिक गणराज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित मौजूदा ईपीसीसी (अन्वेषण और उत्पादन रियायत संविदा) व्यवस्था के अंतर्गत गैस का अन्वेषण और उत्पादन करना है। 18 जून 2019 को, कंपनी ने कारोबार शुरू करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार में आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए। उक्त 10 प्रतिशत पीआई का अधिग्रहण 01 जनवरी 2020 को किया गया था।

यह वित्तीय विवरण 15 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया था और इसकी लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को पूरक लेखा परीक्षा, यदि वे चाहते हों, हेतु प्रस्तुत किया गया था। तथापि, सीएजी ने पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का फैसला किया।

2. वित्तीय प्रदर्शन :

उक्त अवधि के लिए कंपनी के सारब0 वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन रुपये में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए**
प्रचालनों से राजस्व	शून्य
अन्य आय	शून्य
कुल व्यय	(8.18)
अपवादात्मक (आय)/व्यय	8008.73
कर और पूर्ववर्ती अवधि समायोजन पूर्व लाभ/(हानि)	(8,016.91)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(8,016.91)
आस्थगित कर आय सहित कर व्यय	(109.52)
अवधि का लाभ/(हानि)	(7,907.39)
अन्य व्यापक आय /(व्यय), कर के निवल	(121.02)
अवधि की कुल व्यापक आय /(व्यय)	**(8028.41)**
प्रति शेयर आय (भारतीय रुपये)	**(7907.39)**
निवल मूल्य	**(1030.35)**

3. परियोजना विवरण, भावी दृष्टिकोण और पहलू :

क. परियोजना की प्रस्तावना : –

ब्लॉक एरिया –1 ऑफशोर मोजाम्बिक ('एरिया –1') रोवुमा बेसिन का हिस्सा है जो मोजाम्बिक के उत्तरी भाग में स्थित है और 80,000 वर्ग किमी में फैले तंजानिया–मोजाम्बिक तटीय बेसिन का हिस्सा है।

यह ब्लॉक दिसंबर, 2006 में अधिनिर्णीत किया गया था और अपतटीय मोजाम्बिक रोवुमा बेसिन के सुदूर उत्तरी भाग में तटीय रेखाओं के बीच अवस्थित है और करीब 2400 बाथीमीटर के क्षेत्र को इस ईपीसीसी के तहत विकसित किया जा रहा जो जनवरी, 2007 में प्रभावी हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय तेल ओर गैस कंगलोमेरट टोटल का विशेष प्रयोजन माध्यम – टोटल ई एंड पी मोजांबिक एरिया 1 लिमिटाडा का प्रचालक है।

ख. अनुमोदन और अधिग्रहण : –

ओएनजीसी विदेश ने 28 फरवरी, 2014 को 2,640 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर अंडार्को मोजांबिक एरिया 1 लिमिटाडा से 10 प्रतिशत पीआई का अधिग्रहण किया था। 4480 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मौजूदा भारत सरकार के निवेश अनुमोदन के अतिरिक्त कैश सिंक आधार पर 217 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने के लिए भारत सरकार से और अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

इसके अलावा, ओएनजीसी विदेश 'ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड' में अपनी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के जरिए और 6 प्रतिशत पीआई धारित करता है, जो परियोजना में 10 प्रतिशत पीआई धारित करता है और शेष 40 प्रतिशत शेयर धारित आयल इंडिया लिमिटेड ("ओआईएल") के पास है।

अपने कॉर्पोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ओएनजीसी विदेश ने एरिया –1 में 10 प्रतिशत पीआई को हस्तांतरित कर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ओवीआरएल का गठन किया है और इस अनुषंगी कंपनी के माध्यम से प्रचालन कर रहा है ।

01 जनवरी, 2020 से प्रत्यक्षतः धारित 10 प्रतिशत पीआई को ओएनजीसी विदेश से ओवीआरएल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

ग. कंसोर्टियम साझीदार

आपकी कंपनी एरिया–1 में 10 प्रतिशत पीआई धारित करती है और वर्तमान में अन्य कंसोर्टियम साझीदार निम्नानुसार हैं :

- टोटल ई एंड पी मोजांबिक एरिया 1, लिमिटाडा (टीईएमपीए1) : 26.5 प्रतिशत (ऑपरेटर)
- मित्सुई ई एंड पी मोजाम्बिक एरिया 1 लिमिटेड (मित्सुई) : 20 प्रतिशत
- बीपीआरएल वेंचर्स मोजांबिक बी.वी. (बीपीआरएल) : 10 प्रतिशत
- पीटीटीपीईपी मोजाम्बिक एरिया 1 लिमिटेड (पीटीटीपीईपी) : 8.5 प्रतिशत
- ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)+ : 10 प्रतिशत
- ईएनएच रोवुमा एरिया यूएम, एस.ए. (ईएनएच) : 15 प्रतिशत

+ओएनजीसी विदेश और ओआईएल द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में संयुक्त स्वामित्व

क. परियोजना दृष्टिकोण

- **अद्यस्तल :**

दो प्रमुख फील्ड / परिसर – गोल्फिनो अटुम और प्रोस्पेरिडैड के अंतर्गत ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोशीन और क्रीटेशस कुंडों में अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन वेधन द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में गैस के कुंड स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, ओर्का, टुबाराओ और टुबाराओ–तिग्रे क्षेत्रों में भी गैस की खोज की गयी है। एरिया 1 में औसत दोहन योग्य अनुमानित गैस 64 टीसीएफ है। वर्तमान योजना गोल्फिनहो–अटुम क्षेत्र से 6.56 एमएमटीपीए प्रत्येक के 13.12 एमएमटीपीए दो ट्रेन एलएनजी संयंत्र स्थापित करके खोजे गए गैस संसाधनों को विकसित करना है।

एरिया –1 के दो मुख्य क्षेत्रों / परिसरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है :

- **प्रोस्पेरिडैड क्षेत्र**

प्रोस्पेरिडैड क्षेत्र मोजाम्बिक एरिया –1 और मोजाम्बिक एरिया–4 में स्थित मोजाम्बिक और तंजानिया सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह 1400 मीटर से 2000 मीटर तक की जल गहराई में अवस्थित है।

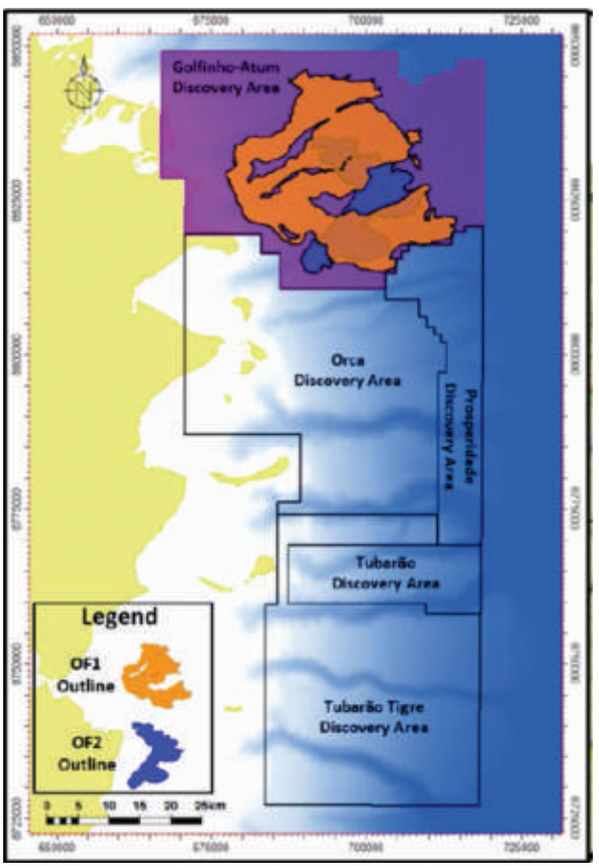

चित्र 1 गोल्फिन्हो–अटुम फील्ड अवस्थिति

प्रोस्पेरिडैड खोज विंडजाममेर, बार्कैंटाइन, लागोस्टा और कैमाराओ संभावनाओं का एक समामेलन है और अपतटीय एरिया –1 की पूर्वी सीमा से अपतटीय एरिया–4 तक फैली हुई है। प्राथमिक कुंड ओलिगोसीन युग के दो स्टैक गहरे पानी फैन हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी भाग में छोटे ईओसिन और पैलोसिन फैन्स के अलावा ओलीगोसिन फैन 1–2 कहा जाता है।

- **गोल्फिन्हो–अटुम फील्ड**

गोल्फिन्हो–अटुम गैस फील्ड प्रोस्पेरिडैड परिसर से उत्तर मोजाम्बिक एरिया–1 अपतट के भीतर स्थित है। यह 500 मीटर से 1300 मीटर से अधिक की जल गहराई में अवस्थित है।

जैसा प्रोस्पेरिडैड में है, गोल्फिनहो–अटुम में दो ओलिगोसिन कुंड हैं, और इन्हें ओलिगोसीन फैन –1 और ओलिगोसीन फैन –2 के रूप में जाना जाता है; हालांकि, गोल्फिनहो–अटूम फैन्स एक अधिक चैनलीकृत चरित्र है, जिसका तात्पर्य है कि प्रोस्पेरिडैड में देखी गई उत्कृष्ट कनेक्टिविटी कहीं और देखा नहीं जा सकता है।

- **वेधन और समापन**

एरिया – 1 रियायतें वेधन और समापन के चरणबद्ध कार्यक्रम में गोल्फिन्हो–अटुम फील्ड का विकास करेगी। गोल्फिन्हो–अटुम फील्ड के विकास में ऊर्ध्वाधर और कोणीय कुओं दोनों का उपयोग किया जाएगा। वेधन और समापन योजना को एक एकल रिग (50 दिन / कुआं के रूप में योजनाबद्ध) का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा। प्राथमिक डिजाइन आधार अवधारणाएं इस प्रकार हैं:

- ❖ सभी उत्पादकों को समुद्रमग्न कुओं के रूप में पूरा किया जाएगा।
- ❖ 7" उत्पादन टयूबिंग 200 एमएमएससीएफडी / कुआं तक की उत्पादन दरों को हासिल कर सकेगा।
- ❖ 30 वर्ष कुएं की उपयोगिता अवधि।
- ❖ प्रति कुआं एकल क्षेत्र समापन।
- ❖ कोई योजित पुनर्समापन नहीं।
- ❖ डाउन होल दवाब और तापमान निगरानी।
- ❖ सभी नये वेधिक विकास कुओं के लिए रेत नियंत्रण नियोजित किया जाएगा।

एरिया–1 संसाधनों का प्रारंभिक विकास गोल्फिनहो – अटुम फील्ड के भीतर होगा जिसमें 18 कुऐं – 15 कुएं नए होंगे और 3 मौजूदा मूल्यांकन कुओं में 3 पुनः प्रवेश होगा। इन 18 कुओं में से, वर्ष 2021 के दौरान वेधन के लिए 4 कुओं को वर्ष 2021 में वेधित किए जाने का अनुमान लगाया गया है, वर्ष 2022 में 7 कुओं को और वर्ष 2023 के लिए 7 कुओं को वेधित किए जाने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान योजना के अनुसार वेधन 01 अक्तूबर 2021 (प्रथम वेल स्पड) को शुरू होगा और 02 मई 2024 को पूरा होगा (18 वां कुआं समापन); 18 कुएं – 31 माह, औसतन 6.97 कुएं प्रति वर्ष, औसत 1.74 कुएं प्रति तिमाही। प्रथम कुएं के वेधन से पहले एक वर्ष की समय अवधि आवश्यक तैयारी करने में लंबे समय में खरीद संपन्न होने वाली खरीदों में लगने का अनुमान लगाया गया है।

- **अपतटीय विकास**

समुद्रमग्न प्रणाली एक अपतटीय समुद्रमग्न अवसंरचना है और संग्रहण प्रणाली है जो अपतटीय कुओं से एलएनजी सुविधा को हाइड्रोकार्बन पहुँचाएगी। जलमग्न प्रणाली में समुद्रमग्न पेड़, जंपर्स और फ्लाइंग लीड्स जो प्रत्येक कुआं को इन–फील्ड गैस संग्रहण लाइनों को बांधने के लिए आवश्यक है, पाइपलाइन इंड मेनिफोल्ड, पाइपलाइन इंड टर्मिनेशन संग्रहण लाइनें, मुख्य ट्रंक लाइनें, नियंत्रण प्रणालियां, रसायन वितरण उपकरण, एक सर्विस लाइन, और मड मैट्स शामिल हैं। प्रचालक रणनीतिक रूप से कुओं को जोड़ने के लिए संग्रहण मेनिफोल्ड के साथ एक 'डेजी श्रृंखला' जलमग्न ले–आउट का उपयोग करेगा, जो भावी विस्तार की अनुमति देगा। यदि भविष्य में अपतटीय संपीडन वांछित होता है तो ऐसे लचीलेपन अनुमत करने के लिए अपतटीय अवसंरचना डिजाइन में रणनीतिक जोड़ बिन्दु शामिल होंगे।

कुओं से उत्पादित प्राकृतिक गैस को आंशिक रूप से क्लेडेड रिजिड फ्लोलाइन और फ्लेक्सिबल या रिजिड फ्लो लाइन जंपर्स द्वारा संग्रहण मैनिफोल्ड तक पहुँचाया जाएगा। संग्रहण मैनिफोल्ड कुओं को एक साझे 16 इंच हैडर में सहमिश्रित करता है। बाद में गैस को बहु–चरण 22 इंच ट्रंक लाइनों के माध्यम से तट तक पहुँचाया जाता है।

समुद्रमग्न नियंत्रण प्रणाली को एलएनजी सुविधा नियंत्रण प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, और ट्रीज और मैनिफोल्ड पर समुद्रमग्न नियंत्रण पुर्जों इलेक्ट्रो–हाइड्रोलिक अंबिलिकल और वितरण उपकरण के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह अंबिलिकल उत्पादन सुगम करने के लिए विद्युत शक्ति, संचार, हाइड्रोलिक फ्लूइड, और रसायन प्रदान करेगा। आवश्यक क्षमता के लिए दो स्वतंत्र अंबिलिकल प्रणालियां उपलब्ध करायी जाएंगी।

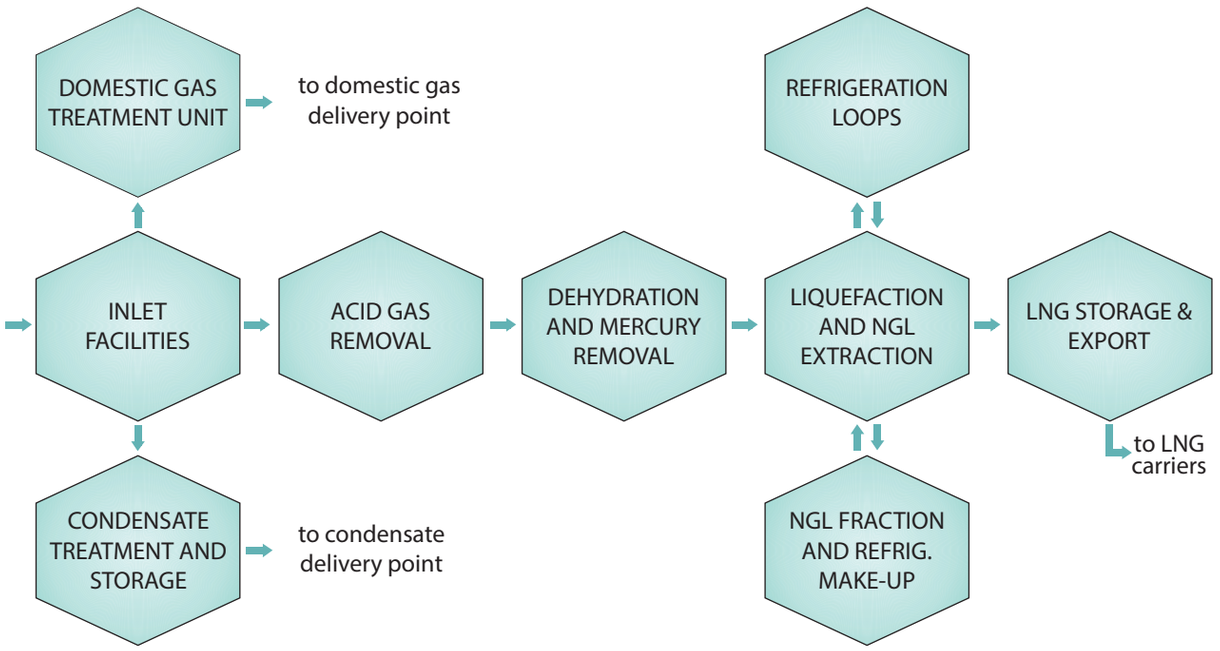

चित्र 2 गैस प्रसंस्करण और द्रवीकरण सुविधाएं – सरलीकृत ब्लॉक आरेख

- **अभितट विकास**

अभितट, इसके दायरे में एलएनजी संयंत्र सहित एकीकृत एलएनजी सुविधा का निर्माण शामिल है और साझी सुविधाएं, उत्तरी मोजांबिक में कैबो डेलिगेडो प्रांत में अफुनगी प्रायद्वीप पर एरिया–4 के साथ साझा किया जाएगा। एलएनजी संयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण, भंडारण, और और संबंद्ध कंडेसेंट निर्यात के लिए दो ट्रेन, 13.12 एमटीपीए सुविधा होगी।

समुद्रमग्न प्रणाली से आपूर्ति की गयी प्राकृतिक गैस को परियोजना स्थल पर प्रसंस्करण के लिए प्राप्त किया जाएगा। प्रि–ट्रिटमेंट के बाद, ज्यादातर प्राकृतिक गैस को एलएनजी के रूप में बिक्री के लिए द्रवीकृत किया जाएगा, जबकि एक छोटा हिस्सा घरेलू बाजार में बेची जाएगी। एलएनजी का उत्पादन एक मानक एलएनजी प्रक्रिया का अनुपालन करता है जिसका क्रम गैस इनलेट प्राप्ति, खट्टी गैस निष्कर्षण, डिहाइड्रेशन, भारी गैस अंश का निष्कर्षण, द्रवीकरण, भंडारण, और ऑफलोडिंग है। एलएनजी प्रक्रिया और संबंधित गैस प्रसंस्करण एपीसी1सी3 एमआर प्रौद्योगिकी अपनाता है।

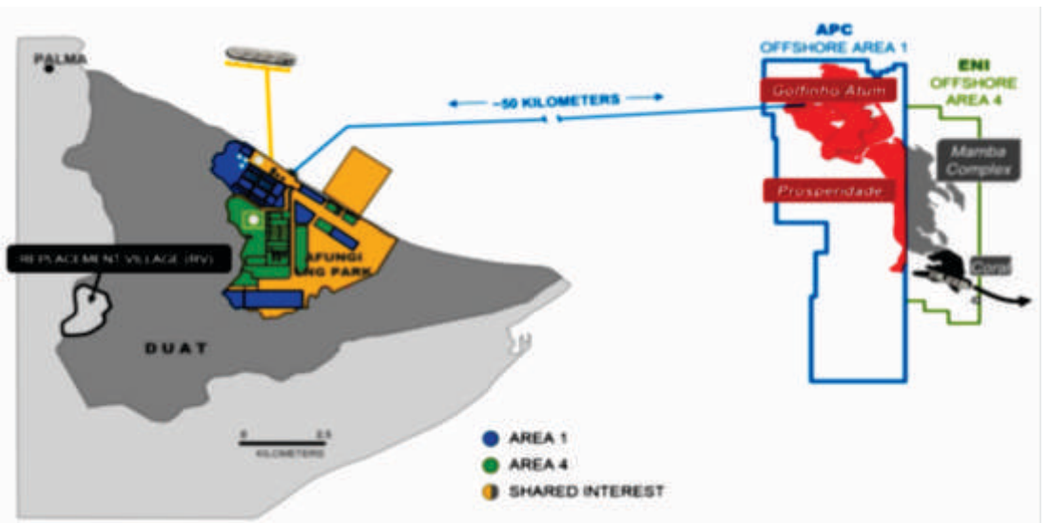

चित्र 3. साझे हित क्षेत्रों के साथ परियोजना खाका

अभितटीय सुविधा एक दूरस्थ, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील स्थान पर है जहॉ बुनियादी ढांचे का अभाव है। निर्माण और प्रचालन के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे (जैसे, हवाई पट्टी, सड़क, आवास, और सहायक सेवा जिसमें सुविधा ऑफलोडिंग सुविधा और एलएनजी एवं कंडेसेंट निर्यात जेट्टी शामिल है) परियोजना के दायरे में शामिल है।

'अफुंगी प्रोजेक्ट साइट' नामक के नाम से अफुंगी प्रायद्वीप पर लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि एक एलएनजी पार्क के लिए आवंटित की गई है, जहां यह परियोजना स्थित है। डीयूएटी (भूमि उपयोग अधिकार) के अंतर्गत सरकार द्वारा भूमि उपयोग संस्वीकृत किया गया था। टीईपीएम1, ईएनएच और एरिया – 4 प्रचालक में से प्रत्येक का इस कंपनी (रोवुमा बेसिन एलएनजी लैंड, लिमिटाडा) में एक तिहाई हिस्सा है जो डीयूएटी के अनुसरण में प्रदत्त भूमि उपयोग अधिकार धारित करते हैं। साझा क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक प्रोजेक्ट खाका नीचे दिखाया गया है।

इस परियोजना के दायरे में एलएनजी विपणन, बिक्री और पोत–परिवहन के साथ–साथ परियोजना वित्त भी शामिल हैं। विपणन दायरे में मुख्य रूप से इस परियोजना को विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश को कम करने के लिए वित्तीय बिक्री और खरीद समझौतों (एसपीए) को हासिल करना और निष्पादित करना शामिल है। इसके अलावा परियोजना के दायरे में अनुभवी जहाज मालिकों / ऑपरेटरों के साथ दीर्घकालिक चार्टर के तहत चार्टरिंग जहाजों पर आधारित समग्र पोत परिवहन रणनीति का विकास और निष्पादन भी शामिल है। सभी एलएनजी बिक्री के लिए पसंदीदा अनुबंध रणनीति के अनुसार, परियोजना एलएनजी वाहक (एलएनजीसी) न खरीदेगी और ना ही इसका संचालन करेगी, अपितु उन कार्गो के लिए जो 'डेलिवर्ड एक्स शिप' (डीईएस) के आधार पर बेचे जाते हैं, के लिए प्रतिष्ठित स्वामियों और ऑपरेटरों के लिए एलएनजीसी किराये पर लेगी। 12 एमएमटीपीए एलएनजी के लिए 174,000 घनमीटर (16 वाहक) के पोत आकार के 17 एलएनजी वाहक और 149,000 घन मीटर क्षमता के एक पोत की आवश्यकता होगी। एलएनजी बिक्री पोर्टफोलियो में दुनिया भर में गंतव्य लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण स्तर मौजूद है।

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार भंडार (2पी) – ओवीआरएल की पीआई के संगत 2पी भंडार 136.51 एमएमटीओई हैं।

- **प्रशासनिक विशिष्टियां**

❖ ओएनजीसी विदेश द्वारा प्रत्यक्षतः धारित 10 प्रतिशत पीआई को कंपनी को स्थानांतरित करने के लिए मोजाम्बिक सरकार (जीओएम) से अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

❖ भारत सरकार का नकदी सिंक आधार पर 217 मिलियन मिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने के लिए अनुमोदन और कंपनी के पक्ष मे समनुदेशित एरिया–1 परियोजना स्टैंड में 10 प्रतिशत पीआई के लिए 4480 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

❖ मापुटो, मोजांबिक में कपनी के शाखा कार्यालय के लिए आवश्यक लाइसेंस 03 सितंबर, 2019 से प्राप्त कर लिया गया है।

❖ एरिया–1 परियोजन में ओएनजीसी विदेश द्वारा धारित पीआई के हस्तांतरण के लिए एरिया–1 ईपीसीसी के तहत यथा अपेक्षित ओएनजीसी विदेश और कंपनी के बीच आवश्यक समनुदेशन करार और कारोबार स्थानांतरण करार कर लिए गए थे। तदनुसार, एरिया–1 परियोजना में 10 प्रतिशत पीआई 01 जनवरी 2020 से कंपनी के नाम पर हस्तांतरित हो गया है।

- **परियोजना विशिष्टियां**

❖ एरिया – 1 रियायतग्राही ने प्रारंभिक दो ट्रेन गोल्फिन्हो/अटुम प्रोजेक्ट के लिए अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) लिया। 18 जून 2019 को प्रारंभिक परियोजना के लिए एफआईडी की घोषणा की जिसके लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि हेतु 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु–वर्षीय बजट की मंजूरी दी गयी थी।

❖ सीसीएस जेवी (सायपेम, मैकडर्मोट और चियोदा के संघ) और एमटीवी (टैकनिप और वैन ऊर्ड के संघ) के साथ क्रमशः अपतटीय निर्माण के लिए ईपीसी संविदा और अपतटीय विकास हेतु इपीसीआई संविदा की गयी थी। ईपीसीआई संविदा और ईपीसी संविदां के लिए एनटीपी क्रमशः 21 जून और 26 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे।

❖ तत्कालीन एरिया–1 प्रचालक की अंतिम मूल कंपनी अनाडार्को पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एपीसी) का ओक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ विलय हो गया। यह विलय 08 अगस्त 2019 को संपन्न हुआ। इस विलय और सितंबर, 2019 में टोटल एस.ए. को अफ्रीकी परिसंपत्तियों के बिक्री लेनदेन के समापन के अनुसरण में टोटल ने एरिया–1 प्रचालक का दायित्व ग्रहण किया।

- ❖ 11.14 एमएमटीपीए के दीर्घावधिक एलएनजी बिक्री खरीद करार (एसपीए) निष्पादित किए गए हैं।
- ❖ एरिया–1 संघ ने सिंगापुर में विक्रेता एसपीई (परियोजना की गतिविधियों से संबंधित विपणन के लिए विशेष प्रयोजन निकाय) की नियंत्रक कंपनी के रूप में 21 अप्रैल, 2019 से आबु धाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम), यूएई में मोज एलएनजी 1 नियंत्रक कंपनी को और यूएई में उधारकर्ता एसपीई को अधिनिगमित किया था। 31 मार्च 2020 तक होल्डको में धारिता ओएनजीसी विदेश के नाम थी।
- ❖ पालमा अफुंगी हाईवे सितंबर, 2019 में पूरा हो गया। साइट पर पुनर्वासन ग्राम गतिविधियां प्रगति पर हैं, हाउसहोल्ड पुनर्स्थापन का चरण 1 जनवरी, 2020 में पूरा हो गया। हवाईपट्टी का निर्माण प्रगति पर है, परीक्षण उड़ान 19 फरवरी, 2020 को किया गया। ईपीसी और ईपीसीआई / सीपीआई संविदाएं यथा नियोजित प्रगति पर हैं।

- **मुद्दे एवं चिंताएं**

- ❖ अफुंगी (परियोजना स्थल) पर कोविड –19 संकट के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कार्यों (समुद्री, पनुर्वासन ग्राम, सामाजिक कार्य इत्यादि) और कोविड–19 जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित हुआ।
- ❖ उत्तरी मोजांबिक में सुरक्षा स्थिति।

- **आगे का मार्ग**

- ❖ एरिया – 1 ने प्रोजेक्ट फाइनेंस ड्राई क्लोज 15 जुलाई 2020 को हासिल किया और वेट क्लोज तिमाही – 2021 हासिल करने के लिए शेष वित्तपोषण दस्तावेज का निष्पादन प्रगति पर है।
- ❖ एलएनजी पोत परिवहन के लिए चयनित पोत स्वामियों के साथ टाइम चार्टर पार्टी (टीसीपी) का निष्पादन।
- ❖ प्रारंभिक विकास योजना के अनुसार, एरिया–1 परियोजना विकास चरण अधीन है और परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियां चल रहीं हैं। प्रथम एलएनजी वर्ष 2024 तक अपेक्षित है।

4. कंपनी मामलों की स्थिति :

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान, चूँकि आपकी कंपनी गठन चरण में थी, कोई राजस्व जनित नहीं हुआ था। कुल व्यय 8.18 मिलियन रुपये रहा। 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए, कंपनी ने 7,907.39 मिलियन रुपये की हानि की सूचना दी।

इसके अलावा, ओएनजीसी विदेश को भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कैश सिंक आधार पर निवेश सीमा के अंदर ही 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित एरिया–1 परियोजना में कैश कॉल और अन्य निवेशों हेतु कंपनी को निधियन सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी। चूँकि इक्विटी में निवेश सावधिक रूप से की जा सकती है, प्रारंभ में ऋण / अग्रिम के रूप में निधियन सहायता प्रदान करने और बोर्ड के अनुमोदन से समय–समय पर इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया था।

5. लाभांश :

वाणिज्यिक प्रचालनों और लाभ सृजन के अभाव में, बोर्ड 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं कर रहा है।

6. सार्वजनिक जमा :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के आशय में जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

7. आरक्षितियों का हस्तांतरण :

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए 7,907.39 मिलियन रुपये की राशि की हानि को आरक्षिति और अधिशेष में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों के टिप्पण 12 के अंतर्गत बताया गया है।

8. शेयर पूंजी :

अधिकृत और चूकता शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत और चूकता पूंजी 1,00,00,000 (1 करोड़ रुपये मात्र) है, जिसे 10 (दस रुपये मात्र) रुपये के 10,00,000 (दस लाख मात्र) शेयरों में विभाजित किया गया है।

9. वित्तीय अवधि की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच परिवर्तन :

- आपकी कंपनी की पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रणनीतिक निर्णय के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने दिनांक 02.09.2020 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की सहमति से इसकी अधिकृत पूंजी को 1,00,00,000 (1 करोड़ रुपये) से 1,00,00,00,00,000 (दस हजार करोड़ रुपये) कर दिया गया है। बाद में, कंपनी की इक्विटी चूकता पूंजी को भी ऋण से इक्विटी में रूपांतरण के जरिये 12 दिसंबर 2020 से 1,00,00,000 (1 करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर 50,07,83,000 (5 हजार सात करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र) कर दिया गया है।
- श्रीमती रेखा मिश्रा, निदेशक को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- जून, 2020 में एरिया –1 रियायतग्राही ने एलएनजी के पोत–परिवहन के लिए दीर्घकालिक टाइम चार्टर पार्टी (टीसीपी) के साथ अनुबंध करने के लिए पोत स्वामी का चयन किया है।
- कोविड –19 मामलों के कारण अप्रैल, 2020 में अफुंगी परियोजना स्थल पर 'केयरटेकर मोड' सक्रिय किया गया था। अफुंगी परियोजना स्थल ने जून, 2020 में कोविड नियंत्रित स्थिति पर पहुँच गया था। स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- ओएनजीसी विदेश द्वारा एरिया –1 में प्रत्यक्षतः धारित 10 प्रतिशत पीआई के कंपनी को हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, ओएनजीसी विदेश द्वारा होल्डको में धारित शेयरों के ओवीआरएल को हस्तांतरण का कार्य मई, 2020 में संपन्न हो गया था और होल्डको के नये शेयरधारक के रूप में ओवीआरएल के नाम पर शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था।
- प्रारंभिक दो ट्रेन विकास के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक परियोजना वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए ईसीए/वाणिज्यिक बैंकों के साथ वार्ता कर रहा है। एरिया–1 प्रथम परियोजना वित्त ड्रॉ–डाउन (लंबित आरबीआई अनुमोदन के कारण) के पहले वित्त दस्तावेजों पर सहमति देने के लिए ओवीआरएल हेतु प्रावधान के साथ 15 जुलाई, 2020 को परियोजना वित्त ड्राई क्लोज हासिल किया है।
- ओवीआरएल ने ओवीआरएल के पक्ष में आरबीआई द्वारा प्रदत्त मंजूरी के आधार पर 01 दिसंबर, 2020 को परियोजना वित्तपोषण का परिग्रहण किया है।

10. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

10.1 निदेशकों में परिवर्तन : –

- श्री विवेकानंद, श्री जी एस चतुर्वेदी और श्री चांद मल जैन अधिनिगमन की तिथि अर्थात 15 अप्रैल 2019 से कंपनी के प्रथम निदेशक थे।
- श्री राधाकृष्णन गुहान को 01 फरवरी, 2020 से श्री चांद मल जैन के स्थान पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- श्री आलोक कुमार गुप्ता को 12 मार्च, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- श्रीमती रेखा मिश्रा को 16 मार्च, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय अवधि की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच परिवर्तन

- श्री विवेकानंद और श्री जीएस चतुर्वेदी 19 मई, 2020 से आपकी कंपनी के निदेशक पद से प्रविरत हो गए।
- श्री विवेकानंद और श्री मधुकर मोहन 11 दिसंबर, 2020 से श्री आलोक कुमार गुप्ता और राधाकृष्णन गुहान के स्थान पर अपर निदेशक नियुक्त किए गए।

  आपके निदेशक, आपकी कंपनी के निदेशक के रूप में श्री जी एस चतुर्वेदी, श्री चांद मल जैन, श्री आलोक कुमार गुप्ता और श्री राधाकृष्णन गुहान द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान की हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

10.2 अपर निदेशकों का नियमितीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार श्री विवेकानंद, श्रीमती रेखा मिश्रा और श्री मधुकर मोहन जिन्हें कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के

तहत उनसे/सदस्य(यों) से आवश्यक सूचना प्राप्त हुई हैं। बोर्ड ने भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

10.3 बोर्ड की बैठकों की संख्या :

अन्य बोर्ड कार्यवाहियों के अलावा कंपनी/कारोबार नीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। तथापि, विशेष और तत्काल व्यावसायिक आवश्यकता के मामले में, कानून के तहत यथा अनुमत परिचालन के माध्यम से प्रस्तावों को पारित कर बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि बोर्ड की बाद की बैठक में की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सह पठित तद्धीन बनाए गए नियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पाँच (5) बैठकें बुलाई और आयोजित की गयीं थी, वर्ष 2019 के दौरान पर 07 मई, 03 सितंबर और 21 अक्तूबर को और वर्ष 2020 के दौरान 15 जनवरी और 12 मार्च को आयोजित की गयीं थी। उपस्थिति और अन्य अपेक्षाओं से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

10.4 निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 (1) के अनुसार, आपके निदेशकों ने कंपनी में उनके हितों का प्रकटन करते हुए कंपनी को नोटिस दिया है जिनमें उनके और उनके रिश्तेदार रुचि रखते हैं या जिनसे उनका सरोकार हैं।

आपकी कंपनी के निदेशकों में से कोई भी कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 164 (2) प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं है।

10.5 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के उपबंधों के अनुसार श्रीमती निशा धींगरा (एफसीएस–10726) को 02.09.2020 से कंपनी का कंपनी सचिव और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नियुक्त किया गया है और श्रीमती रेखा मिश्रा, निदेशक को दिनांक 22.12. 2020 के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है।

10.6 स्वतंत्र निदेशक :

आपकी कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) (ख) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

10.7 प्रबंधकीय पारिश्रमिक :

आपकी कंपनी एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है, इसलिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके अलावा आपकी कंपनी के सभी निदेशक नियंत्रक – ओएनजीसी विदेश कंपनी द्वारा नामित हैं, जिन्हें उनके पूर्ण कालिक निदेशकों या अधिकारियों से निजी तौर पर लिया गया है। इसलिए ऐसे निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

10.8 धारा 178 की उप–धारा के अंतर्गत कंपनी में मौजूद निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक और अन्य समितियों से संबंधित नीति

आपकी कंपनी एक सरकारी होने के नाते इस कंपनी को एमसीए द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति और साथ ही उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन से छूट प्राप्त है।

11 सारवान् परिवर्तन प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, जो कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :

कंपनी की अधिकृत और चूकता शेयर पूंजी में वृद्धि के अलावा, वित्तीय अवधि के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भी सारवान् परिवर्तन/प्रतिबद्धता नहीं की गयीं थी। कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

12 जोखिम प्रबंधन नीति :

आपकी कंपनी अभी भी व्यवसाय के निर्माण के चरण में है और फिलहाल इसका कोई व्यावसायिक प्रंचालन नहीं है। जोखिम प्रबंधन नीति तब बनेगी जब व्यवसाय के प्रचालन में प्रगति होगी। तथापि, बोर्ड समय–समय पर जोखिम का शमन करने के

लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए साधनों की समीक्षा करता है और साथ ही साथ उन सभी मामलों पर नियमित रूप से बोर्ड बैठकों में चर्चा की जाती है जो कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है और तदनुसार मानक कारोबार संव्यवहार के भाग के रूप में जोखिम प्रबंधन किया जाता है।

आपकी कंपनी सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जो लोगों, पर्यावरण, समुदायों और भौतिक संपत्ति की रक्षा करती है।

13 लेखा परीक्षा :

13.1 सांविधिक लेखा परीक्षक –

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मैसर्स के जी सोमानी एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण सं. 06591एन), दिल्ली को 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का पहला सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

13.2 लेखाओं पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट –

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के स्टैंडअलोन लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उक्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

सी एंड एजी ने 11 अगस्त 2020 के पत्र के तहत कंपनी को सूचित किया है कि उन्होंने उक्त वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के तहत कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

13.3 लागत लेखा परीक्षा –

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अनुसार, लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के उपबंध इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

13.4 सचिवीय लेखा परीक्षा –

आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत लागू उपबंधों के संदर्भ में किसी भी सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी।

14 वार्षिक बैठक का सार :

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) की धारा 92 (3) के अनुसरण में इस बोर्ड की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का एक सार संलग्न किया गया है।

15. ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण :

आपकी कंपनी अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) व्यवसाय में लगी हुई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के तहत प्रदान की गई छूट में शामिल है। तदनुसार, कंपनी द्वारा अनुषंगी और सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण, में किए गए निवेश या को प्रदत्त गारंटी या प्रतिभूति के विवरण की सूचना नहीं दी गयी है।

16 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

- ❖ आपकी कंपनी हमेशा से ही देश की ऊर्जा कमी से संबंधित तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाती रही है।
- ❖ आपकी कंपनी हमेशा समय–समय पर स्वयं को तकनीकी रूप से अद्यतित रखने की कोशिश करती रही है।
- ❖ इस अवधि के दौरन कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं हुई थी और इस अवधि के दौरान व्यय 1181.01 करोड रुपये है।

17 बोर्ड मूल्यांकन :

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसे एमसीए द्वारा जारी किए गए 05 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित उपबंध से छूट प्राप्त है।

18 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवसाय के आकार और जरूरतों के अनुरूप कंपनी की नीतियों के अनुपालन कर, सुधार

के क्षेत्र की पहचान कर, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर, प्रयोज्य कानूनों और विनियमों का अनुपालन कर और परिसंपत्तियों के अनधिकृत उपयोग के संरक्षणों के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में सक्षम है।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोश) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन :

इस कंपनी के सभी कर्मचारी नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी / ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के वेतन पंजी में शामिल हैं, जिन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नीति को क्रियान्वित किया है।

तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को लैगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

20. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण :

संबंधित अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत यथा विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण विहित प्ररूप एओसी 2 में अनुलग्नक – प्प में संलग्न है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के टिप्पण सं. 25 की ओर आकृष्ट किया जाता है जो भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटन निर्धारित करता है।

21. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में राशियों का अंतरण :

कंपनी के पास ऐसी कोई निधि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा करना अपेक्षित था।

22 निगमित अभिशासन रिपोर्ट :

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन के उच्चतम मानकों को हासिल करने का प्रयास करती है। निगमित अभिशासन रिपोर्ट संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

23 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ('सीएसआर') से संबंधित उपबंध 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं थे।

24 सांविधिक प्रकटन :

आपके निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक प्रकटन किए हैं।

25 निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य :

निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ग) की अपेक्षा के अनुसरण में, आपके निदेशकों ने निम्नलिखित अभिपुष्टि की :

क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, सारवान् विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने जो वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों मे यथा वर्णित इस प्रकार की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से उसी प्रकार लागू किया गया है जैसा कि वार्षिक लेखों में उल्लिखित हैं तथा निर्णय व अनुमान इस प्रकार किए गए है जो उचित व विवेकपूर्ण हैं ताकि वे उक्त वित्तीय अवधि के अंत में कंपनी की कार्य–स्थिति के बारे में तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में वास्तविक व उचित दृष्टिकोण प्रदान करें;

ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

घ) निदेशकों ने ''चालू समुत्थान'' आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; तथा

च) निदेशकों द्वारा सभी प्रकार के लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गयी है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं तथा वे कारगर ढंग से कार्य कर रही हैं।

26 आभार :

आपके निदेशकं इस अवसर पर हमारी नियंत्रक कंपनियों ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश द्वारा कंपनी के गठन में किए गए अथक प्रयासों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चाहे वह जनशक्ति समर्थन, पंजीकृत कार्यालय स्थान, पूर्व–परियोजना गतिविधियों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने या मार्गदर्शन प्रदान करने में या मांगी गयी सहायता हो, प्रवर्तक कंपनियां हमेशा कंपनी के संरक्षक के रूप में रही हैं। ओवीआरएल सभी मार्गदर्शन और समर्थन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग का भी आभारी है ।

आपके निदेशक समय–समय पर कंपनी को सहायता प्रदान करने के लिए बैंकरों सहित विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के भी आभारी हैं।

22 दिसंबर, 2020
नई दिल्ली

कृते ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
हस्ताक्षर
विवेकानंद
बोर्ड के अध्यक्ष

अनुलग्नक – I

प्ररूप संख्या एमजीटी 9

दिनांक 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार वार्षिक विवरणी का सार

{कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में}

I पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे

i	सीआईएन	यू11201डीएल2019जीओआई348673
ii	पंजीकरण की तिथि	15 अप्रैल 2019
iii	कंपनी का नाम	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	प्लॉट सं. 5ए–5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070 दूरभाष : 91 11 26754316 ई–मेल आईडी : secretariat@ovrl.in
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरणे, यदि कोई हों	लागू नहीं

II कंपनी का मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप

उन सभी व्यावसायिक कार्यकलाप का उल्लेख करें जिनका योगदान कंपनी के कुल कारबार के 10 प्रतिशत या उससे अधिकः–

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम व ब्यौरा	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	कच्चा तेल	061	–
2	प्राकृतिक गैस	062	–

III नियंत्रक, समनुषंगी व सहायक कंपनियों के विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्रक/समनुषंगी/सहायक कंपनियों के विवरण	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागु खंड
1.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, दीन दयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन, प्लॉट सं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110 070	यू 74899 डी एल 1965 जी ओ आई 004343	नियंत्रक कंपनी	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड का 100 प्रतिशत हिस्सा	2(46)

IV शेयर – धारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का अलग अलग विवरण)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
क संस्थापक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति /एचयूएफ	–	6	6	–	–	6	6	–	–
ख) केंद्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय कॉरपोरेट		999994	999994	100		999994	999994	100	–
ड़) बैंक / वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग प्रतिशत (क) (1)	–	1000000	1000000	100	–	1000000	1000000	100	–
2 विदेशी									
छ) एनआरआई व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) अन्य व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) कॉरपोरेट निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ञ) बैंक / वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ट) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग प्रतिशत (क)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख सार्वजनिक भोयर धारिता									
1 संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्यूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक / वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केंद्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) उद्यम पूंजीगत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफ आई आई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ख) (1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 गैर संस्थागत									
क) निकाय कॉरपोरेट									
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) भारतीय एक लाख रुपए तक की सामान्य शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) एक लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ii) एक लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग प्रतिशत (ख) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) त्र(ख)(1) + (ख) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) जीडीआर व एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (क+ख+ग)	–	**1000000**	**1000000**	**100**	–	**1000000**	**1000000**	**100**	–

ii. संस्थापकों की शेयर–धारिता

क्रम संख्या	शेयर–धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रतिभूत बाधित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रतिभूत बाधित शेयरों का प्रतिशत	
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	999994	100	–	999994	100	–	–
2	श्री विवेकानंद +	1	–	–	1	–	–	–
3	श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी+	1	–	–	1	–	–	–
4	श्रीमती रेखा मिश्रा+	1	–	–	1	–	–	
5	श्री राधाकृष्णन गुहान+	–	–	–	1	–	–	–
6	श्री मधुकर मोहन+	–	–	–	1	–	–	–
7	श्री आलोक कुमार गुप्ता+	–	–	–	1	–	–	–
8	श्री अखिल वर्मा+	1	–	–	–	–	–	–
9	श्री चांद मल जैन+	1	–	–	–	–	–	–
10	श्री जय भगवान बंसल+	1	–	–	–	–	–	–
	योग	1000000	100	–	1000000	100	–	–

+ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नामिति के रूप में ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के शेयर धारित कर रहे हैं।

iii. संस्थापकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	तिथि	1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान संचयीं शेयरधारिता		अभ्युक्तियां
				शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्र.	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का प्र.	
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	999994	100	999994	100 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं
		वृद्धि / (कमी)	–	–	–	–	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	999994	100	999994	100 प्रतिशत	
2	श्री विवेकानंद +	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1	–	कोई परिवर्तन नहीं
		वृद्धि / (कमी)		–	–	–	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	1	–	1	–	
3	श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1	–	कोई परिवर्तन नहीं
		वृद्धि / (कमी)	–	–	–	–	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	1		1	–	

4	श्रीमती रेखा मिश्रा+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1	–	कोई परिवर्तन नहीं
		वृद्धि / (कमी)		–	–	–	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	1	–	1	–	
5	श्री राधाकृष्णन गुहान+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	–	–	–	–	श्री अखिल वर्मा से शेयर का हस्तांतरण
		वृद्धि / (कमी)	21.10.2019	–	–	1	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	1	–	1	–	
6	श्री मधुकर मोहन+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	–	–	–	–	श्री चांद मल जैन से शेयर का हस्तांतरण
		वृद्धि / (कमी)	12.03.2020	–	–	1	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	1	–	1	–	
7	श्री आलोक कुमार गुप्ता +	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	–	–	–	–	श्री जय भगवान बंसल से शेयर का हस्तांतरण
		वृद्धि / (कमी)	12.03.2020	–	–	1	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	–	–	1	–	
8	श्री अखिल वर्मा+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1	–	श्री आर गुहान को शेयर का हस्थानांतरण
		वृद्धि / (कमी)	21.10.2019	–	–	(1)	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	–	–	–	–	
9	श्री चांद मल जैन+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1		श्री मधुकर मोहन को शेयर का हस्थानांतरण
		वृद्धि / (कमी)	12.03.2020	–	–	(1)		
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	–	–	–		
10	श्री जय भगवान बंसल+	वर्ष के प्रारंभ में	15.04.2019	1	–	1	–	श्री आलोक कुमार गुप्ता को शेयर हस्थानांतरण
		वृद्धि / (कमी)	12.03.2020	–	–	(1)	–	
		वर्ष के अंत में	31.03.2020	–	–	–	–	

+ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नामिति के रूप में ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के शेयर धारित कर रहे हैं।

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशक, संस्थापक एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारक को छोड़कर) : प्रयोज्य नहीं।

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ (15.04.2019) में शेयधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक का	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	–	–	–	–
2.	वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात आवंटन / हस्तांतरण/बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि) : को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में (या विलगन की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान विलगित हुए हैं	–	–	–	–

(iv) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) की शेयर धारिता

क्र.सं.		वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता		अभ्युक्तियां
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	
1	**श्री राधाकृष्णन गुहान* (निदेशक)**					
(क)	वर्ष के आरंभ में	–	–	–	–	

(ख)	वर्ष के दौरान संस्थापकों की शेयर धारिता में दिनांक वार बढ़ोतरी/कमी को बढ़ोतरी/कमी के कारण (अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) बताते हुए दर्शाएं	1	–	1	–	श्री अखिल वर्मा से शेयर का हस्तांतरण
(ग)	वर्ष के अंत में	1	–	1	–	
2	**श्री आलोक कुमार गुप्ता* (निदेशक)**					
(क)	वर्ष के आरंभ में	–	–	–	–	
(ख)	वर्ष के दौरान संस्थापकों की शेयर धारिता में दिनांक वार बढ़ोतरी/कमी को बढ़ोतरी/कमी के कारण (अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)बताते हुए दर्शाएं	1	–	1	–	श्री जय भगवान बंसल से शेयर का हस्तांतरण
(ग)	वर्ष के अंत में	1	–	1	–	
3.	**श्रीमती रेखा मिश्रा* (निदेशक)**					
(क)	वर्ष के आरंभ में	1	–	1	–	
(ख)	वर्ष के दौरान संस्थापकों की शेयर धारिता में दिनांक वार बढ़ोतरी/कमी को बढ़ोतरी/कमी के कारण (अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)बताते हुए दर्शाएं	–	–	–	–	
(ग)	वर्ष के अंत में	1	–	1	–	

+ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नामिति के रूप में ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के शेयर धारित कर रहे हैं।

5. ऋणग्रस्तता

₹ मिलियन में

ब्याज देय / अर्जित सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता परंतु जो भुगतान के लिए देय न हो				
	प्रत्याभूत ऋण, जमा के अलावा (मिलियन रुपये में)	अप्रत्याभूत ऋण (मिलियन रुपये में)	जमाए (मिलियन रुपये में)	कुल ऋणग्रस्तता (मिलियन रुपये में)
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) देय ब्याज परंतु अदा नहीं किया गया। iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन – परिवर्द्धन – ह्रास **निवल परिवर्तन**	–	178493.97	–	178493.97
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय परंतु अदत्त iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु अदत्त	–	**178493.97**		**178493.97**
कुल (I + ii + iii)	–	**178493.97**	–	**178493.97**

VI	निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक					
क.	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक : लागू नहीं					
क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक के नाम				कुल राशि
1	सकल वेतन क आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन ख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों का मूल्य ग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–		–	–
2	स्टॉक विकल्प					–
3	स्वीट इक्विटी	–	–		–	–
4	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, ब्यौरा दें	–	–		–	–
5	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	–	–		–	–
6	कुल (क)	–	–		–	–
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम	–	–		–	–

क. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक के नाम				कुल राशि
	स्वतंत्र निदेशक – बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क – कमिशन – अन्य कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–	–
	कुल (1)	–	–	–	–	–
	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक – बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क – कमिशन – अन्य कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–	–
	कुल (2)	–	–	–	–	–
	कुल (ख) त्र 1. 2	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	–	–	–	–	–

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक – लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	शून्य
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वीट इक्विटी				
4	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में, – अन्य, ब्यौरा दें				
5	अन्य, कृपया ब्यौरा दें				
	कुल	–	–	–	–

VII. शास्ति / दंड / अपराधों का प्रशमन : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाए गए जुर्माना/सजा/प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/एन सीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील यदि हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–
ख. निदेशक					
जुर्माना	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
प्रशमन	–	–	–	–	–

कृते ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

विवेकानंद
अध्यक्ष
डीआईएन : 07566552

तिथि :
स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी - 2

(इस अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गयी संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरण जिसमें उक्त धारा के तृतीय परंतुक के अधीन कुछेक आर्म्स लेंथ लेनदेन शामिल हैं

1. उन संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन के विवरण जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं

क्र. सं.	(क) संबंधित पक्षकार का/के नाम और संबंध की प्रकृति		(ख) संविदाओं /व्यवस्थाओं /लेनदेन की प्रकृति	(ग) संविदाओं / व्यवस्थाओं /लेनदेन की अवधि	(घ) संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन के प्रमुख शर्त, मूल्य यदि कोई हो, सहित		(ङ) ऐसी संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन करने का औचित्य	(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)	(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी कोई राशि यदि कोई हो	(ज) धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित आम बैठक में विषेष संकल्प पारित करने की तिथि
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	लेनदेन मूल्य (मिलियन रुपए में)				
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी	मोजांबिक कारोबार की खरीद	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए	ओएनजीसी विदेश की 10 प्रतिशत पीआई की बिक्री के लिए कारोबार स्थानांतरण करार (बीटीए) के अनुसार	2,12,953.56	परियोजना वित्तपोषण और देयता सीमित करने को सुगम करने के लिए आंतरित पुनर्संरचना के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को हस्तांतरण	21 अक्तूंबर 2019 (तीसरी बोर्ड बैठक)		21 अक्तूबर 2019 (तीसरी बोर्ड बैठक)

2. आर्म्स लेंथ आधार पर की गयी सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन के विवरण

क्र. सं.	(क) संबंधित पक्षकार का/के नाम और संबंध की प्रकृति		(ख) संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन की प्रकृति	(ग) संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	(घ) संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन के प्रमुख शर्त, मूल्य यदि कोई हो, सहित		(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)	(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी कोई राशि यदि कोई हो
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	लेनदेन मूल्य (मिलियन रुपए में)		
शून्य								

(कंपनी सचिव)

निदेशक

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

ओवीआरएल का निगमित अभिशासन दर्शन

- ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल/कंपनी) उत्तम निगमित प्रथाओं का अनुपालन करता है और संगठन की धन सृजन क्षमता को बढाने के उद्देश्य से मूल्यों और नैतिक व्यापार आचरण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देता है। यह उत्तम निगमित अभिशासन का पालन करके और नैतिक प्रबंधन निर्णयों और सभी हितधारकों के साथ एक मूल्यवान संबंध और विश्वास को बनाए रखने की दिशा में प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी द्वारा अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन का विवरण निम्नलिखित खंडों में प्रस्तुत किया गया है;
- हमारा निगमित अभिशासन हमारी संस्कृति, हमारी नीतियों और हमारे हितधारकों के साथ संबंधों को शामिल करने वाली मूल्य प्रणाली का प्रतिबिंब है। सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता हमारे निगमित अभिशासन प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम हर समय अपने हितधारकों के विश्वास को प्राप्त करें और इसे बनाए रखें।

1. निगमित अभिशासन के सिद्धांत

मजबूत अभिशासन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, आपकी कंपनी निगमित अभिशासन के निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करती है :

1. हितधारकों के हित में सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और प्रणालियां तैयार करना।
3. प्रचालनों, प्रदर्शन, जोखिम और वित्तीय स्थिति और पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली के संबंध में पारदर्शिता और उच्चतम श्रेणी का प्रकटन सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित और तर्कसंगत है।
5. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के कर्मचारी कॉर्पोरेट मूल्यों से सहमत हैं और अपने आचरण में उन्हें अपनाते हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 कंपनी का गठन

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर नीति आयोग की आवश्यक सहमति से अपने कॉरपोरेट लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल, 2019 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गठित किया और इसे अधिनिगमित किया।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो रणनीतियों और नीतियों का सूत्रीकरण करता है और समय–समय पर इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करता है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में यथा निर्धारित तीन से कम न हो। इसके अलावा, यह कंपनी गठन चरण में है, सभी बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां / नामांकन ओएनजीसी विदेश द्वारा किए जाते हैं। इस तरह के सभी नामिती या तो ओएनजीसी विदेश के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

अधिनिगमन के बाद से नामित किए गए निदेशकों और उनके कार्यकाल की सूची निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	कार्यकाल	
			तिथि से	तिथि तक
1.	श्री विवेकानंद	07566552	15 अप्रैल, 2019	19 मई, 2020
			11 दिसंबर, 2020	आज तक
2.	श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी	08235451	15 अप्रैल, 2019	19 मई, 2020
3.	श्री चंद मल जैन	08421628	15 अप्रैल, 2019	01 फरवरी, 2020
4.	श्री राधाकृष्णन गुहान	08686682	01 फरवरी, 2020	11 दिसंबर, 2020
5.	श्री आलोक कुमार गुप्ता	08554224	12 मार्च, 2020	11 दिसंबर, 2020
6.	श्रीमती रेखा मिश्रा	08725208	16 मार्च, 2020	आज तक
7.	श्री मधुकर मोहन	08993015	11 दिसंबर, 2020	आज तक

2.3 प्रकटन :

संबंधित निदेशक (कों) से प्राप्त प्रकटन के आधार पर :

क) बोर्ड में शामिल कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा निर्धारित बीस से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं हैं।

ख) बोर्ड में शामिल कोई भी निदेशक (निदेशक) 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य या सभी कंपनियों में 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह निदेशक है।

किसी समिति कीं सदस्यता / अध्यक्षता की गिनती लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति से संबंधित है ।

2.4 स्वतंत्र निदेशक :

आपकी कंपनी, एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते और साथ ही ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4(2) के अनुसार इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को शामिल करना अपेक्षित है।

इसके अलावा, चूंकि आपकी कंपनी गठन चरण में है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों सहित लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

2.5 महिला निदेशक

आपकी कंपनी ने 16 मार्च 2020 से श्रीमती रेखा मिश्रा को नियुक्त कर कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के अनुसार यथा अपेक्षित महिला निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षा का अनुपालन किया है।

2.6 निदेशक मंडल की भूमिका

- बोर्ड की प्राथमिक भूमिका न्यासिता का है – कंपनी के रणनीतिक निदेश के माध्यम से शेयरधारक मूल्य को संरक्षित रखना और बढ़ाना;

- न्यासी के रूप में यह सुनिश्चित करना बोर्ड की वैश्वासिक जिम्मेदारी है कि कंपनी का लक्ष्य शेयरधारक मूल्य और इसकी संवृद्धि से संरेखित है;
- बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित नियंत्रण निदेशित करता है और प्रयोग करता है जिससे कि कंपनी इस प्रकार से प्रबंधित है जो हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करता हो;
- यह कंपनी की अभिशासकीय संव्यवहारों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है और यथा आवश्यक उसमें परिवर्तन करता है;
- यह कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है और कंपनी और शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है;
- यह कॉरपोरेट संबंधी कार्यों पर स्वतंत्र निर्णय करता है;
- यह कॉरपोरेट रणनीति, प्रमुख कार्य योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजनाओं, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारण, क्रियान्वयन निगरानी और कॉरपोरेट प्रदर्शन, और प्रमुख पूंजीगत व्ययों का पर्यवेक्षण, अधिग्रहण और विनिवेशों की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।

2.7 बोर्ड बैठकों की प्रक्रिया और कार्यवृत्त अभिलेखन

निदेशकों द्वारा संसूचित निर्णय लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों और सचिवीय मानक के अनुपालन में बैठकों की कार्यसूचियों को अग्रिम में परिचालित कर दिया जाता है। हालाँकि, अल्प अवधि सूचना पर बुलाई गई बैठकों की कार्यसूची मदों को निदेशकों की सहमति से बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी सचिव बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और ऐसी बैठकों का मसौदा कार्यवृत्त तैयार करते हैं।

कंपनी ने निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का भी प्रस्ताव करती है ताकि उन्हें कानून के तहत प्रतिभागिता करने में सक्षम किया जा सके।

मसौदा कार्यवृत्त बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रचालित किया जाता है और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी सचिव बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त का अभिलेखन करते हैं। कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत प्रविष्ट कार्यवृत्तों को बोर्ड की बाद की बैठकों में नोट किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित सचिवीय मानकों के अनुसार कंपनी बोर्ड की सभी बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्तों का अनुरक्षण करती है। इन कार्यवृत्तों को कानून के तहत यथा विसम्मत मतों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है।

2.8 अनुवर्तन तंत्र :

बोर्ड के निर्णयों/अनुदेशों/निर्देशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समय–समय पर बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है। जोखिम वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया जाता है और शमन प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, बोर्ड की बैठकों से संबंधित दिशा–निर्देश, बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कृत्त कार्रवाई के लिए प्रभावी बैठक पश्च अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुगम करते हैं।

2.9 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन :

क. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते, वर्तमान में आपकी कंपनी में बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ ओएनजीसी विदेश द्वारा की जाती हैं। बोर्ड के सभी सदस्य नियंत्रक कंपनी के निदेशक/अधिकारी हैं, जो समय–समय पर उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करती है।

बोर्ड के सदस्यों को अग्रिम रूप से प्रचालित कार्यसूची सुविस्तृत प्रकृति की होती है। तथापि, जब कभी भी आवश्यक होता है, बोर्ड की बैठकों में व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों/पेशेवरों/सलाहकारों द्वारा चर्चा के दौरान प्रस्तुतियाँ/जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

ख. निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित नीति

ओवीआरएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसे 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ङ) और (त), 149(6)(क) और (ग) धारा और 178(2), (3) और (4) के उपबंधो से छूट दी गई है ।

2.10 बोर्ड बैठकें :

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान बोर्ड की पांच (5) बैठकें – 07 मई 2019, 03 सितंबर 2019, 21 अक्तूबर 2019, 15 जनवरी 2020 और 12 मार्च 2020 को आयोजित की गयीं को।

दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 48 दिन (03 सितंबर, 2019 – 21 अक्तूबर, 2019) और 119 दिन (07 मई 2019 – 03 सितंबर, 2019) थे।

2.11 बोर्ड उपस्थिति :

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद के विवरण निम्नवत थे :

निदेशकों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिए	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या*
आलोक कुमार गुप्ता (12 मार्च 2020 से)	–	–	1 (ओएनजीसी विदेश)
श्री राधाकृष्णन गुहान (01 फरवरी 2020 से)	1	1	–
श्रीमती रेखा मिश्रा (16 मार्च 2020 से)	–	–	1 (ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस)
श्री विवेकानंद (19 मई 2020 तक)	5	5	1 (ओएनजीसी विदेश)
श्री जी एस चतुर्वेदी (19 मई, 2020)	5	4	1 (ओएनजीसी विदेश)
श्री सी एम जैन (1 फरवरी, 2020 तक)	4	4	–

* भारत के बाहर निगमित कंपनियों, धारा 8 कंपनियां और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (पब्लिक कंपनी के नियंत्रक/अनुषंगी कंपनी नहीं होने के कारण) के निदेशक पद शामिल नहीं हैं।

टिप्पण :

1. यह कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशक नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश द्वारा नियुक्त/नामित किए गए हैं।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई मौद्रिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

2.12 नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों की योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया गया है।

3. बोर्ड समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी को न तो बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता है और न ही बोर्ड की लेखा परीक्षा और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने की आवश्यकता है।

4. शेयरधारिता स्वरूप

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की सूची		
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1.	मैसर्स ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	999994
2.	श्री विवेकानंद*	1
3.	श्री गिरिजा शंकर चतुर्वेदी*	1
4.	श्री मधुकर मोहन*	1
5.	श्री आलोक कुमार गुप्ता*	1
6.	श्री राधाकृष्णन गुहान*	1
7.	श्रीमती रेखा मिश्रा*	1
	कुल	**1000000**

* ऊपर क्रम सं. 2 से 7 तक के अंतर्गत सभी नामिती ओएनजीसी विदेश की ओर से शेयर धारित करते हैं।

5. बोर्ड के सदस्यों और वरिश्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

सभी बोर्ड सदस्य और ओवीआरएल के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ओएनजीसी विदेश (नियंत्रक कंपनी) द्वारा नामित किए गए हैं जो ओएनजीसी विदेश के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू व्यवसाय संव्यवहार संहिता द्वारा अभिशासित हैं।

6. अनुपालन अधिकारी

श्रीमती निशा ढींगरा, कंपनी सचिव, कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

7. अनुषंगी कंपनी

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इस कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं थी ।

8. आम बैठक

8.1 वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

चूँकि आपकी कंपनी 15 अप्रैल, 2019 को अधिनिगमित की गयी थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कोई एजीएम आयोजित किया जाना अपेक्षित नहीं था और न ही आयोजित की गयी थी।

8.2 असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

08 नवंबर, 2019 को निम्नलिखित विशेष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए कंपनी की एक ईजीएम आयोजित की गयी थी:

1. 50,000 करोड़ रुपये तक उधार लेने के लिए कंपनी की शक्ति पर विचार करना और अनुमोदित करना,
2. सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए।

9. प्रकटन

9.1 निदेशकों के पारिश्रमिक

आपकी कंपनी एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है, इसलिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके अलावा आपकी कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, इसलिए सभी निदेशकों को ओएनजीसी विदेश के कर्मचारियों के रूप में नियंत्रक कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किसी अन्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

9.2 कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया है, जो कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो या जो निजी प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए व्यय किए गए थे।

10. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी अभी भी गठन चरण में है और फिलहाल इसका कोई परिचालन नहीं है। जोखिम प्रबंधन नीति तब बनायी जाएगी जब व्यवसाय के प्रचालन में प्रगति होगी। तथापि, वे सभी मामले जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, पर बोर्ड बैठक में चर्चा की जाती है और मानक कारोबार संव्यवहार के भाग के रूप में जोखिम प्रबंधन किया जाता है।

11. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी को समीक्षाधीन अवधि के दौरान संबंधित प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के लागू प्रावधानों के अनुसार किसी सचिवीय लेखा परीक्षक को नियुक्त करना आवश्यक नहीं था।

12. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा विशेषक

वर्ष 2019–20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'शून्य' समुक्ति की गयी है।

इसके अलावा, भारत के सीएजी ने 11 अगस्त, 2020 के पत्र के तहत संसूचित किया है कि 11 जून, 2020 को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार पूरक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है।

13. संविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क

कंपनी के पहले सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स के जी सोमानी एंड कंपनी दिया जाने वाला कुल शुल्क 0.35 मिलियन रुपये था।

14. अनुपालनाएं

कंपनी ने लागू कानूनों, नियमों और नियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी पर कोई जुर्माना या आक्षेप नहीं किया गया है।

15. वार्षिक आम बैठक

तिथि	:	29 दिसंबर, 2020
समय	:	11:00 बजे
सीान	:	वैंकोर भवन, प्लॉट नं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

16. संचार माध्यम

कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट और आम बैठकों के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है।

सूचना : आम बैठक की सूचना ईमेल के माध्यम से सभी सदस्यों को भेजी गयी है

वेबसाइट : वर्तमान में, कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है।

वार्षिक रिपोट : वार्षिक रिपोर्ट अन्य बातों के साथ–साथ अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और अन्य महत्वपूर्ण सूचना के साथ सभी सदस्यों और उसके अन्य हकदार को परिचालित की गयीं हैं। निगमित अभिशासन रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

गोपनीय

संख्या : डीजीए (एनर्जी)/आरईपी/एईएस/ओवीआरएल/2020–21/90

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
लेखा परीक्षक महानिदेशक (ऊर्जा) का कार्यालय
दिल्ली

दिनांक : 11.08.2020

सेवा में,

निदेशक
ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
नई दिल्ली।

विषय : 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए ही उत्तरदायी हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य दिनांक 11 जून 2020 को कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.
(डी. के. शेखर)
लेखा परीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11. 08. 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने ''ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड'' ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया हैं, जिसमें 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इसके तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (इंड एएस) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों (वित्तीय स्थिति) तथा उस तिथि को समाप्त अवधि में इसकी हानि जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं, वर्ष के दौरान इक्विटी परिवर्तनों और इसके नकद प्रवाह से संबंधित सच्चे और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में और वर्णन किया गया है। हम भारतीय लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता, कंपनी अधिनियम 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निवर्हन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा विचारों को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मामले पर जोर

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 4 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो कंपनी के भावी प्रदर्शन पर कोविड–19 प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन से संबंधित है। इस मामले में हमारी राय उपांतरित नहीं की जाती है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से, और उस पर हमारी राय बनाने में इस स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किए गए थे, और हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने हेतु नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखा परीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है :

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेख परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**विदेशी प्रचालनों से वित्तीय सूचना का समावेशनः** चूँकि कंपनी के वास्तविक प्रचालन भारत के बाहर निष्पादित किए जा रहे हैं और संयुक्त परिचालन समझौते के अनुसार सभी सदस्यों की ओर से लेखाओं की मूल बहियों का रखरखाव करने के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार होता है। ऑपरेटर अनंकेक्षित विवरण उपलब्ध करवाता है जिसके आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमोदित लेखा बहियों में प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं।	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वास्तविक प्रचालन भारत के बाहर निष्पादित किए जा रहे हैं और संयुक्त परिचालन समझौते के अनुसार सभी सदस्यों की ओर से लेखाओं की मूल बहियों का रखरखाव करने के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार होता है, हमने ऑपरेटर द्वारा यथा प्रस्तुत और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित ऐसी सूचना पर आश्वस्त होते हुए हमारी लेखा परीक्षा निष्पादित की है।
2.	**अचल आस्ति अभिलेख :** ऑपरेटर द्वारा अधिग्रहित और उपयोग में लायी गयी अचल आस्तियों को निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य में शामिल किया जा रहा है और अग्रणित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा कोई पृथक अभिलेख या इन्वेंट्री नहीं बनायी जा रही है।	प्रबंधन ने सभी आस्तियों अर्थात प्रचालक की उत्पादन आस्तियों और अन्य आस्तियों की सम्पूर्ण इन्वेंट्री लेने का निर्णय लिया है जब उत्पादन शुरू हो जाएगा और प्रासंगिक इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों में दर्ज किया जाएगा।
3.	**आस्थगित कर :** कर व्यवस्था के विकल्प चुनने जिसमें आयकर देयता के निर्धारण के लिए बाद के वित्तीय वर्षों में लागू संभावित कर दरों से संबंधित महत्वपूर्ण आकलन शामिल है, के संबंध में कंपनी की अनिश्चित अप्रत्यक्ष कर स्थिति हैं। आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं की गणना वर्तमान आय कर दरों पर की गयीं हैं जो नयी कर व्यवस्थाओं की तुलना में उच्चतर हैं।	कर व्यवस्था के अंगीकरण का अंतिम निर्णय लंबित रहते हुए, हमने वर्तमान कर व्यवस्था के अनुसार कर की गणना करने के लिए प्रबंधन के प्रतिवेदन पर विश्वास किया है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य सूचना और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारक सूचना शामिल हैं, परंतु इसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम उस पर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उस अन्य सूचना को पढना है, और उस क्रम में यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना सारवान रूप से स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या नहीं या सारवान रूप से मिथ्या कथन तो नहीं किया गया है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचना में कोई सारवान मिथ्या बयानी है, हमसे इस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जो इसके अभिशासन के लिए भारित हैं, का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से संबंधित है जिनमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन लाभ और नकद प्रवाह के संबंध में कंपनी की एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति दर्शायी गई है।

इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; वे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हों; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित व उनका रखरखाव करना जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, वे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से प्रासंगिक है जो एक वास्तविक व उचित स्थिति को दर्शातें हैं तथा वास्तविक मिथ्या बयानी से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटिपूर्ण हो के संदर्भ में हो, भी शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का यथा प्रयोज्य प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, समग्र रूप से तथ्यात्मक मिथ्या बयानी, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, से मुक्त है, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे तथ्यात्मक माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप मे, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करना और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि प्रदत्त परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से परिचालन में हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की युक्तियुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध प्रकटन का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता है जो इस कंपनी की चालू समुत्थान के रूप जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु, जिनमें प्रकटन भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन – देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति हासिल होता है।

  तात्त्विकता स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में मिथ्या बयानी का वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समुदित रूप से, यह संभाव्य बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित रूप से जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (प) हमारी लेखा परीक्षा के दायरे की आयोजना और हमारे कार्य के निष्कर्षों के मूल्यांकन; और (पप) वित्तीय

विवरणों में किसी अभिज्ञात मिथ्या बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, परिमाणात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक तात्त्विकता पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषय – वस्तुओं में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और इसका समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमारे द्वारा चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में अर्थपूर्ण विचलन भी शामिल हैं, के संबंध में उनको संसूचित करते हैं जो इनके अभिशासन के लिए भारित हैं।

हम उनको, जो अभिशासन के लिए भारित हैं, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने निरपेक्षता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों और और जहाँ प्रयोज्य है, संबंधित सुरक्षापायों के बारे में भी संसूचित करते हैं जिनके संबंध में हमारी निरपेक्षता को प्रभावित कर सकने की क्षमता, के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

उन मामलों में से, जिन मामलों में अभिशासन से भारित को संसूचित किया गया है, हम उन मामलों को चुनते हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखा परीक्षा मामले थे। हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कानून और विनियम ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबन्धित नहीं करता है या जब, हम अत्यंत ही दुर्लभ परिस्थितियों में, निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के ऐसे प्रतिकूल परिणाम होंगे जिनके ऐसी सूचना के जनहित हितलाभों पर भारी पड़ने की अपेक्षा है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) की शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनीं (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की अपेक्षा अनुसार हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट माामले के संदर्भ में एक विवरण 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. कंपनी की बहियों और अभिलेखों को इस प्रकार जांचने के आधार पर जैसा कि हमारे द्वारा उचित माना गया है तथा उस सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार जो कि हमें प्रदान किए गए हैं, हमने इस अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तों के अनुसार अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए निदेशों व उप निदेशों के आधार पर 'अनुलग्नक ख' के रूप में यहां संलग्न की है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

   (क) हमने सभी सूचनाएं व व्याख्याएं मांगी व प्राप्त कर ली हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारे मतानुसार, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से ज्ञात होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा लिए गए स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ – घाटा विवरण, (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं) और नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

   (घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) 31 मार्च 2020 को निदेशकों की ओर से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है, कि कोई भी निदेशक 31 मार्च 2020 को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन प्रभाविता के संदर्भ में 'अनुलग्नक ग' में संदर्भित हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।

   (छ) यथा संशोधित इस अधिनियम की धारा 197 (16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संलग्न

अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है;

ii) हमें दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं;

iii) इनमें कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षण कोष के लिए स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ''क''

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाए संबंधी रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अनुलग्नक

I) **अचल परिसंपत्तियों के संबंध में**

क. ऑपरेटर द्वारा अधिगहित अचल परिसंपत्तियों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में शामिल किया जा रहा और अग्रणीत किया जा रहा है और कंपनी द्वारा कोई पृथक अभिलेख या इन्वेंटरी नहीं रखी जा रही है।

ख. कंपनी द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

ii) **इसकी इन्वेंटरी के संबंध में :**

क. इन्वेंटरी में केवल ऑपरेटर की अभिरक्षा में भारत के बाहर परियोजना में धारित भंडार और पुर्जे शामिल है।

ख. कंपनी द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

iii) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या इस अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बनायी रखी गये रजिस्टर में शामिल अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत, नहीं दिया गया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(पपप) (क) से (ग) के उपबंध कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।

iv) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उन निदेशकों / या किसी ऐसी कंपनी को ऋण प्रदान किए नहीं हैं जिनमें निदेशक का हित हो जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के उपबंध लागू होते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 इस कंपनी के लिए लागू नहीं होती है।

v) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक उपबंध और तद्धीन बनाए गए नियमों के आशय के अंदर किसी प्रकार का सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (अ) के उपबंध कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत संबंधी अभिलेखों का रखरखाव करने को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

vii) क. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जॉच के आधार पर, कंपनी आय कर और वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित निर्विवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त प्राधिकरण में भुगतान कर रही है और 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार संदेय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है। अन्य सांविधिक देयों अर्थात भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उपकर और कोई अन्य सांविधिक देय इस अवधि के दौरान कंपनी लागू नहीं थे।

ख. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी ऐसे सांविधिक देय नहीं थे, जिनका किसी विवाद के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

viii) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था, बैंकों या सरकार से ऋण नहीं लिया है और कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है।

ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) या अन्य सार्वजनिक पेशकश (ऋण पत्र सहित) के माध्यम से पैसा नहीं जुटाया है।

x) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण प्रथाओं के अनुसार, और हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई दृष्टांत नहीं मिले हैं या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी इस अवधि के दौरान देखा या संसूचित किया गया है, ना ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गयी है।

xi) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 463 (अ) के अनुसार प्रबंकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।

xii) **हमारी राय में और** लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमें दी गयी सूचना के अनुसार, यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, इस आदेश के खंड 3 (गपप) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xiii) हमारे द्वारा मांगी गयी और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जॉच की गयी बहियों और अभिलेखों और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी प्रकार के लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं जहां लागू होते हैं और इनके विवरणों को एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट कर दिया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों में अपेक्षित होता है।

xiv) कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के अधिमान्य आवंटन या शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी नियोजन नहीं किया गया हैं।

xv) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के गैर नकदी लेनदेन नहीं किए गए हैं। इसलिए, इस आदेश के खंड 3 (गअ) के उपबंध इस कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।

xvi) प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का भारत रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन
ह0
(अनुज सोमानी)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस विवरणों पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाए संबंधी रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में उल्लिखित अनुलग्नक :

क्र.सं.	निर्देश	कृत कारवाई	समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखाओं की संपूर्णता / शुद्धता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएं।	हॉ, कंपनी में एसएपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिनमें कोई लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से बाहर की गयी है।	शून्य
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं।	कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसकी निबंधनों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा गया था / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजनाओं के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ग''

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' भीर्शक के तहत अनुच्छेद 3(च) में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ''ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड'' (''कंपनी'') का इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण का संयोजन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का दायित्व भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने से संबंधित मार्ग दर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडो पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करने का है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने को शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्व प्रचालन कार्य कर रहे थे इनमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में राय व्यक्त करना है। हम अपना लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत विहित माने गए वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण दिशा निर्देश टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार आयोजित की हैं। उन मानकों और दिशा निर्देश टिप्पणी के लिए आवश्यकता होता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावी रूप से सभी वास्तविक मामलों में प्रचालित किए जा रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियां और उनकी प्रचालन संबंधी कुशलता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है, और आंकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिम का आकलन शामिल होता है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथोचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के

संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणें को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त, सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है, तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर उनकी खोज के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती हैं, त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण तथ्यात्मक मिथ्या बयानी होती हैं। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर दूषित हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निहित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2020 तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण संबंधी दिशा निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहीं थीं।

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएबी1131

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

	विवरण	टिप्पण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
I	**परिसंपत्तियां**		
(1)	**गैर – मौजूदा परिसंपत्तियां**		
	क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		
	(i) अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	6.56
	ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	6	
	(i) तेल और गैस परिसंपत्तियां		
	(ii) प्रगतिधीन तेल और गैस सुविधाएं		29141.63
	ग) निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7	
	(I) प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कुएं		19,310.83
	(ii) अधिग्रहण लागत		171,835.67
	घ) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	8	8,996.35
	कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां		2,29,291.04
(2)	**मौजूदा परिसंपत्तियां**		
	(क) माल सूचियां (इन्वेंटरी)	9	231.51
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां		
	(i) कैश और कैश कॉल समतुल्य	10	9.88
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		–
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	8	0.02
	कुल मौजूदा परिसंपत्तियां		241.41
	कुल परिसंपत्तियां		2,29,532.45
II	**इक्विटी एवं देयताएं**		
(1)	**इक्विटी**		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	10.0
	(ख) अन्य इक्विटी	12	(1,040.35)
	कुल इक्विटी		(1,030.35)
	देयताएं		
(2)	**गैर मौजूदा देयताएं**		
	(क) वित्तीय देयताएं		
	(i) उधार राशियां	13	1,78,493.97
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	15	49,471.17
	कुल गैर मौजूदा देयताएं		227965.14
(3)	**मौजूदा देयताएं**		
	(क) वित्तीय देयताएं		
	(i) व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां		

	(i) व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां		
	क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियां		–
	ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां	–	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	2,596.54
	(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	16	1.12
	कुल मौजूदा देयताएं		**2,597.66**
	कुल देयताएं		**2,30,562.80**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**2,29,532.45**
	स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की संलग्न टिप्पणियां देखें	1–31	

बोर्ड की ओर से

(रेखा मिश्रा)
निदेशक

(आर गुहान)
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

	मद	**टिप्पण सं.**	**31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि**
I	प्रचालनों से राजस्व		–
II	अन्य आय		–
III	**कुल आय** (I + II)		–
IV	**व्यय**		
	उत्पादन, परिवहन, विक्रय और वितरण व्यय	17	3.71
	बट्टे खाते डाली गयी अन्वेषण लागत		
	(क) सर्वेक्षण लागत		3.28
	(ख) अन्वेषी कूप लागत		–
	मूल्यह्रास, निःशेषण, परिशोधन और क्षति	18	0.40
	वित्तीय लागत	19	–
	अन्य व्यय	20	0.79
	कुल व्यय (IV)		8.18
V	**असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ** (III - IV)		(8.18)
VI	असाधारण (आय) / व्यय	21	8,008.73
VII	**कर पूर्व (V - VI) लाभ** / (हानि)		(8,016.91)
VIII	**कर व्यय :**		
	(क) मौजूदा कर से संबंधित	22	
	– मौजूदा अवधि		–
	– पूर्व अवधि		–
	(ख) आस्थगित कर		(109.52)
	कुल कर व्यय (VIII)		(109.52)
IX	**अवधि का लाभ / (हानि)**		(7,907.39)
X	**अन्य व्यापक आय**		
	(क) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	(i) परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन		–
	– उपर्युक्त से संबंधित आय कर		–
	(ख) मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
	(i) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर		(186.02)
	– उपर्युक्त से संबंधित आय कर		65.00
	कुल अन्य व्यापक आय		(121.02)
XI	इस वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (IX+ X)		(8,028.41)
XI	प्रति इक्विटी शेयर आय : (₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर)	23	
	मूल (₹)		(7,907.39)
	तनुकृत (₹)		(7,907.39)
	स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण से संलग्न टिप्पण देखें	1– 31	

बोर्ड की ओर से

(रेखा मिश्रा)
निदेशक

(आर गुहान)
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

मद		**31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि**
i) **प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
कर पश्चात निवल लाभ		(7,907.39)
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्वेषणात्मक कूप लागत बट्टे खाते डाली गयी	3.28	
– मूल्यह्रास, निःशेषण, परिशोधन और	क्षति	0.40
– विदेशी मुद्रा हानि / (लाभ)	0.79	
– आस्थगित कर व्यय	(109.52)	
– अपवादात्मक मदें	8,008.73	7,903.68
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व प्रचालन लाभ		(3.71)
निम्नलिखित के लिए समायोजन		3.59
प्रचालनों से सृजित नकद		(0.12)
संदत्त आय कर (कर प्रतिदाय के निवल)		
प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद''क''		(0.12)
ii). **निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
निवेश गतिविधियों (में प्रयुक्त) /से जनित निवल नकदी ''ख''		–
पपप) **वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
शेयरधारकों से पूंजीगत अंशदान		10.00
दीर्घावधिक / अल्पावधिक उधारों की वापसी अदायगी (निवल)		
इक्विटी शेयरों पर लाभांश भुगतान		
लाभांश पर संदत्त ब्याज		
ब्याज का भुगतान		
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद ''ग''		10.00
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि /कमी (क + ख +	**ग)**	9.88
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		–
अवधि के दौरान विनिमय अंतरों का प्रभाव		0.00
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		9.88

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**नकद प्रवाह**	**गैर नकद मदें**	**31 मार्च 2020 को**
उधारें (पट्टा देयता सहित)	–	–	1,78,493.97	1,78,493.97
अन्य वित्तीय देयताएं – प्रोद्भूत ब्याज				
अन्य वित्तीय देयताएं –निवल व्यूत्पन्न संविदा				
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल देयताएं	–	–	1,78,493.97	1,78,493.97

टिप्पण :

टिप्पण सं. 29 के बिन्दु (ग) का संदर्भ आकृष्ट किया जाता है

बोर्ड की ओर से

(रेखा मिश्रा)
निदेशक

(आर गुहान)
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को इक्विटी परिवर्तन का स्टैंड अलोन विवरण

(i) इक्विटी शेयर पूंजी

मद	राशि
15 अप्रैल 2019 को शेष	–
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरो का निर्गम	10.00
31 मार्च 2020 को शेष	10.00

(ii) अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को इक्विटी परिवर्तन का स्टैंड अलोन विवरण (जारी.....)

मद	नियंत्रक कंपनी से पूंजीगत योगदान माने गए	आरक्षित और अधिशेष			विदेशी प्रचालनो के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने पर विनिमय अंतर	कुल
		पूंजीगत आरक्षित तिथि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन		
15 अप्रैल 2019 को शेष	–	–	–	–	–	–
अवधि के दौरान लाभ	–	–	–	**(7,907.39)**	–	**(7,907.39)**
परिभाषित हितलाभ दायित्व का	–	–	–	–	–	–
पुनर्मापन, आय कर के निवल						
अवधि का अन्य व्यापक आय,	–	–	–	–	**(121.02)**	**(121.02)**
आय कर के निवल						
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय				**(7,907.39)**	**(121.02)**	**(8,028.41)**
लाभांश घोषणा	–	–	–	–	–	–
लाभांश वितरण कर	–	–	–	–	–	–
अवधि के दौरान परिवर्तन	–	–	–	–	–	–
साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन के	49,480.86	23,441.40	–	(67,595.89)	–	5,326.37
कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)						
अधिनिगमन तिथि से कारोबार	–	–	–	1,661.69	–	1,661.69
हस्तांतरण तिथि तक के लिए						
पुनर्कथन समायोजन						
31 मार्च 2020 को शेष	**49,480.86**	**23,441.40**	–	**(73,841.59)**	**(121.02)**	**(1,040.35)**

टिप्पण :

टिप्पण सं. 29 के बिन्दु (ग) का संदर्भ आकृष्ट किया जाता है

बोर्ड की ओर से

(रेखा मिश्रा)
निदेशक

(आर गुहान)
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन

ह0

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

(अनुज सोमानी)भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267
यूडीआईएनल : 20511267एएएएएबी1131

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. कॉरपोरेट सूचना

''ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड ('ओवीआरएल' या 'कंपनी')'' भारत में अधिवासित और स्थापित एक निगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली : 110070 में अवस्थित है। ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

यह कंपनी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए भारत के बाहर तेल एवं गैस रकबों की तलाश करने और उनके अर्जन के काम में लगी है।

वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए 11 जून 2020 को कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (''इंड एएस'') का अनुप्रयोग

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को को तैयार करने में वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और अधिसूचित किए गए सभी भारतीय लेखांकन मानकों पर विचार किया गया है।

2.1 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नये मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जिसे 1 अप्रैल, 2020 को लागू हुआ होता।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1 अनुपालन का विवरण

स्टैंड अलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा तेल एवं गैस उत्पादनकारी गतिविधियों (इंड ए एस) के लिए जारी किए गए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण के अनुसार तैयार किया गया है।

3.2 तैयार करने और प्रस्तुत करने के आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछेक वित्तीय लिखतों को जिन्हें प्रत्येक प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा गया है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित किया गया है।

वित्तीय विवरण, सिवाय नकद प्रवाह सूचना के, लेखांकन के उपचय आधार का उपयोग करते हुए तैयार किए गए हैं।

ऐतिहासिक लागत सामान्यतः सेवाओं एवं वस्तुओं के विनिमय में दिए गए विचारन के उचित मूल्य पर आधारित होते हैं।

चूँकि परिचालन चक्र को उद्योग की विशिष्ट प्रकृति के कारण सामान्य क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसे 12 माह की अवधि के अनुरूप अनुमानित किया गया है। तदनुसार, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची 3 में निर्धारित कंपनी परिचालन चक्र तथा इंड एएस – 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प् में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों व देनदारियों को मौजूदा अथवा गैर मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है (टिप्पणी 4.1 (क) देखें)। स्टैंड अलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किया गया है (टिप्पणी 3.16 देखें) और सभी मूल्यों को निकटतम दो अंकीय मिलियन रुपए में, सिवाय अन्यथा वर्णित, पूर्णांकित किया गया है।

चूँकि ये विवरण अधिनिगमन के उपरांत कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रथम वित्तीय विवरण हैं, तुलनात्मक वित्तीय अवधि की वित्तीय सूचनाएं नहीं दी गयीं हैं।

उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अधीन माप तिथि को किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगी अथवा बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में किसी देनदारी को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर निर्धारित आस्तियों और देनदारियों को उनके निर्धारण में नियोजित आदानों को प्रेक्षित करने की क्षमता पर निर्भर करते हुए तीन स्तरों में से किसी एक स्तर में वर्गीकृत करती है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है :

(क) स्तर 1 आदान समान आस्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में तयशुदा मूल्य (गैर समायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 आदान आस्ति अथवा देनदारी के लिए स्तर – 1 के अंतर्गत शामिल तयशुदा मूल्य को छोड़कर, वे आदान हैं जो या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रेक्षणीय हैं।

(ग) स्तर 3 आदान आस्ति अथवा देनदारी के प्रेक्षणीय आदान हैं, जो प्रेक्षणीय संबंधित बाजार आंकड़ों अथवा बाजार प्रतिभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी के आकलनों को दर्शाते हैं।

3.3 संयुक्त प्रचालनों में हित

कोई संयुक्त प्रचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत उन पक्षकारों का आस्तियों पर संयुक्त अधिकार होता है, और इस व्यवस्था से संबंधित देनदारियों का दायित्व होता है।

संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ आस्तियों और देनदारियों में कंपनी के हिस्से को इसके भाग के आउटपुट की बिक्री से हुई कंपनी की आय और कोई देनदारियां और व्यय जो कंपनी ने संयुक्त प्रचालनों के लिए वहन किया है, सिवाय मूल्यह्रास, सर्वेक्षण और क्षरण के जो कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हुए व्यय, के साथ व्यवस्था के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसी तरह के मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया जाता है।

ऐसे क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन भंडारों को कंपनी के भागीदारी अधिकार के अनुपात में शामिल किया जाता है।

3.4 साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन

साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन का अर्थ है कोई कारोबार संयोजन जिसमें वे निकाय और कारोबार शामिल हैं जिनमें सभी संयोजक या कारोबार अंततः उसी पक्षकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कारोबार संयोजन से पहले और बाद में थे, और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होते हैं।

कंपनी इंड एएस के परिशिष्ट ग के अनुसार लेखांकन के हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए साझा नियंत्रण के अधीन इसके कारोबार संयोजन के लिए लेखा जोखा रखती है। अधिग्रहणकर्ता के निर्धारण योग्य परिसंपत्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयता जो मान्यता की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, को अधिग्रहण की तिथि को उनकी वहन राशि पर अभिज्ञात किया जाता है। अंतरणकर्ता की आरक्षित निधियों को संरक्षित रखा जाता है और उसी प्ररूप में अंतरिती के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किया जाता है जिस प्ररूप में अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया होता है। अधिग्रहण तिथि, यदि यह ऐसी तिथि से पूर्व स्थापित की जाती है, पहले की अवधि की शुरूआत होती है। तथापि, यदि कारोबार संयोजन ऐसी तिथि के पश्चात होता है, तो अधिग्रहण तिथि उसी तिथि को माना जाता है।

वित्तीय विवरणों में उन संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं जिनमें साझे नियंत्रण संयोजन होते है जैसे कि वे उस तिथि से संयोजित हुए थे जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार पहली बार नियंत्रक पक्षकार के नियंत्रण अधीन आए थे।

आय विवरण में प्रत्येक संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के प्रस्तुत पूर्वतम तिथि या उस तिथि से जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जो भी अवधि छोटी हो, के परिणाम शामिल होते हैं, चाहे साझे नियंत्रण संयोजन की तिथि कुछ भी हो।

वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक राशियां इस प्रकार प्रस्तुत की जातीं हैं जैसे कि निकाय या कारोबार पिछली तुलन पत्र तिथि से संयोजित किए गए थे या जब वे पहली बार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जो भी अवधि छोटी हो। चूँकि कंपनी के अधिनिगमन के पश्चात यह प्रथम वर्ष है, कोई तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहें हैं।

पेशेवर शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित अंतरण लागत, शेयरधारकों को सूचना प्रस्तुत करने की लागत, पूर्ववर्ती अलग अलग कारोबारों के संयोजन में व्यय की गयी लागतें या हानियां इत्यादि, जिन्हें साझे नियंत्रण संयोजन के संबंध में व्ययित किए गए थे, उनका लेखा जोखा हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया था, को उस वर्ष के व्यय में अभिज्ञात किया गया है जिस वर्ष में वह हुआ था।

3.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (तेल एवं गैस आस्तियों को छोड़कर)

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को लागत, ह्रास कोई मान्य क्षरण हानि पर दर्शाया जाता है। किसी आस्ति की लागत में इसका क्रय मूल्य अथवा इसके निर्माण की लागत (लागू कर समंजन के निवल), उस स्थान पर आस्ति को लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य अवस्था में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत और टिप्पणी 3.12 के अनुसार डिकमिशनिंग लागत शामिल होती है। इसमें वृत्तिक शुल्क और, अर्हक आस्तियां के लिए, उधार लागत जो कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकृत किया गया है, शामिल होता है। ऐसी संपत्तियां जब अभीष्ट उपयोग के लिए पूर्ण और तैयार हो जाती हैं, उन्हें पीपीई के उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पीपीई के किसी मद के भाग, जिनके भिन्न उपयोगी जीवन काल होते हैं और महत्वपूर्ण मूल्य होता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत सुधार अथवा अन्य कारकों से प्रोद्भूत बाद के व्यय को पृथक घटक के रूप में दर्शाया जाता है।

इन पीपीई का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब ये परिसंपत्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जातीं हैं।

मूल्य ह्रास पीपीई (पूर्ण स्वामित्व भूमि, तेल एवं गैस आस्तियां और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत से उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्रदान की जाती है, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में यथा उल्लिखित पीपीई के उपयोगी जीवन काल पर बट्टे खाते डाले गए मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए या कंपनी के तकनीकी आकलन के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि नीचे प्रदत्त उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है जिस अवधि में प्रबंधन इन आस्तियों का उपयोग करने की प्रत्याशा रखता है। ब्लॉकों से संबंधित पीपीई के मामले में जहॉ लाइसेंस अवधि पीपीई के उपयोगी जीवनकाल से कम होती है, कंपनी उस वित्तीय वर्ष में पीपीई को बट्टे खाते डाल देती है जिस वर्ष में लाइसेंस समाप्त हो जाता है या यदि उस पीपीई से कोई भावी आर्थिक लाभ की प्रत्याशा नहीं होती है, ब्लॉक अभ्यर्पित कर दिया जाता है। इन आस्तियों का प्राक्कलित उपयोगी जीवन काल इस प्रकार है :–

विवरण	वर्ष
फर्निचर एवं जुडनार	3 से 10
वाहन	5 से 20
कार्यालय उपकरण	3 से 15

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और आवश्यक होने पर अनुमानों में परिवर्तन संदर्शी रूप से किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर वर्धन/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपात आधार पर वर्धन/हटाए जाने की तिथि के संदर्भ में किया जाता है सिवाय 100 अमेरिकी डॉलर' से अधिक न होने वाली निम्न मूल्य मदों के जिनका पूर्ण मूल्यह्रास वर्धन के समय पूरी तरह से कर दिया जाता है।

*100 अमेरिकी डॉलर = 31 मार्च 2020 को ₹ 7,548.00।

पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर पूंजीगत सुधार या अन्य कारकों के चलते बाद में किए जाने वाले व्यय हेतु उसके शेष उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास संदर्शी रूप से मुहैया करवाया जाता है।

नवीकृत/पुनःस्थापित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यह्रास, जिन्हें पृथक रूप से पूंजीकृत किया जाता है, पुनः आंकलित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

अन्वेषणात्मक/विकास ड्रिलिंग हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण तथा सुविधाओं सहित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यह्रास को प्रारंभ में ड्रिलिंग लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उसका व्यय/निपटान नोट 3.10 के अनुसार किया जाता है। सर्वेक्षण क्रियाकलापों हेतु नियोजित उपकरण/परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

पीपीई के किसी मद को निपटान के समय अथवा परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य कर दिया जाता है। पीपीई की किसी मद के निपटान या हटाए जाने पर होने वाले किसी लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण प्रदान की जाती है।

3.6 अमूर्त आस्तियां

(i) अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त आस्तियां :

निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियां जिन्हें पृथक रूप से अधिग्रहित किया जाता है, उन्हें लागत ह्रास संचित परिशोधन तथा क्षरण हानियो पर लिया जाता है। परिशोधन को पूंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष से अधिक न होने वाली उनके उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्शी रूप से रेखांकित किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान अथवा उपयोग या निपटान से भविष्य मे कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों तथा हानियों का मापन निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और इसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(ii) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां– निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कुएं :

अन्वेषणात्मक तथा मूल्यांकन कुओं के ड्रिलिंग तथा उन्हें उपकरण प्रदान किए जाने में वहन की गई सारी अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागतों को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों–निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कुएं के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या और उपयोग न होने, जैसा भी मामला हो, वाले के रूप में निर्धारित किए जाने के पश्चात अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कुओं की ड्रिलिंग की लागत को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों–निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कुएं के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के परित्यक्त के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अन्वेषणात्मक कुओं के वेधन की लागत को तब तक अग्रेनित नहीं किया जाता है जब तक यह तर्कसंगत रूप से दर्शाया न जाए कि पर्याप्त मात्रा में भडारो के संकेत है, भंडारो का आकलन करने में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा परियोजना आर्थिक एवं प्रचालन रूप से अर्थक्षम है। अग्रेणित की गयीं ऐसी सारी लागतें कंपनी की नीति के अनुसार क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

3.7 मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का क्षरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी "रोकड़ सृजक इकाई" (सीजीयू) की अपनी मूर्त (तेल तथा गैस आस्तियां, निर्माणाधीन विकास कुएं (डीडब्ल्यूआईपी)), और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रदर्शित मूल्य की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षरण हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान क्षरण हानि (यदि कोई हो) की सीमा के निर्धारण के लिए लगाया जाता है। जब किसी पृथक संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो कंपनी उस परिसंपत्ति के नकदी सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य ह्रास निपटान की लागत तथा उपयोग के मूल्य में से जो भी उच्चतर हो, होगी। उपयोग में होने वाले मूल्य का आकलन करते समय अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को एक कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो आस्ति के उस समय के मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और उस परिसपंत्ति से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की वसूली योग्य राशि का अनुमान इसकी अग्रनीत राशि से कम लगाया गया हो तो परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की अग्रनीत राशि को कम करके उसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। क्षरण हानि को तत्काल लाभ एवं हानि स्टैंड अलोन विवरण में मान्यता दी जाती है।

चूँकि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में यह देखने के लिए एक आकलन किया जाता है कि इसके कोई संकेत हैं कि पहले पहचान की गई क्षरण हानि के कोई संकेत अब मौजूद हैं अथवा कम हो गए हैं। पिछली क्षरण हानि को मान्यता दिए जाने के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन होने से क्षरण हानि को वापिस किया जाता है। यदि ऐसा हो तो परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि को बढ़ाकर इसके वसूली योग्य मूल्य से कम पर लाया जाता है और मूल्यह्रास के निवल निर्धारित की गई अग्रनीत राशि में पिछले वर्षों हेतु किसी क्षति हानि को मान्यता नही दी जाती है। वापिस किए जाने के पश्चात मूल्यह्रास प्रभार को भविष्य की अवधियों में परिसंपत्ति की संशोधित अग्रनीत राशि को आवंटित किया जाता है, किसी अपशिष्ट मूल्य को घटाते हुए, इसके शेष उपयोगी जीवनकाल में एक व्यवस्थित आधार पर क्षरण हानि की वापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्वेषणात्मक चरण के दौरान क्षरण हानि को क्षेत्र / परियोजना स्तर पर किया जाता है जब निकट भविष्य में आगे के अन्वेषण क्रियाकलापों की योजना नहीं बनाई जाती अथवा जब यह दर्शाने के लिए पर्याप्त डाटा मौजूद होता है, यद्यपि विशिष्ट क्षेत्र में विकास के होने की संभावना है, अन्वेषण परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि को सफल विकास या बिक्री द्वारा पूरी तरह से वसूले जाने की संभावना नहीं है। क्षति को बाद में इस सीमा तक वापिस किया जाता है कि क्षति की स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं।

3.8 अन्वेषण एवं मूल्यांकन, विकास और उत्पादन लागत

(I) अधिग्रहण पूर्व लागत

तेल एवं गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के अधिकार को प्राप्त करने से पूर्व किए गए व्यय जब जब वहन किया जाता है, व्यय में दिखाया जाता है।

(ii) अर्जन लागत

अर्जन लागत में, किसी संपत्ति अथवा प्रमाणित या अप्रमाणित खनिज अधिकार क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा अन्यथा अर्जन करने पर आने वाली सारी लागतें शामिल होती हैं और इनका लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया जाता है :

अन्वेषण और विकास चरण

अन्वेषण या विकास के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को प्रारंभ में क्रमशः विकासाधीन अमूर्त आस्तियां – क्रमशः निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कुएं अथवा विकासाधीन तेल और गैस आस्तियां – निर्माणाधीन विकास कुएं के रूप में लेखांकित किया जाता है। ऐसी लागतों को तब तेल और गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करते हुए पूंजीकृत किया जाता है जब कूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाता है। परित्याग / छोड़ दिए जाने के मामले में, ऐसी लागतों को बट्टे खाते में डाला जाता है।

उत्पादन चरण :

उत्पादनशील तेल एवं गैस परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत को तेल तथा गैस परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रमाणित संपत्ति अधिग्रहण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रमाणित भंडारों पर उत्पादन पद्धति की इकाई का उपयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है।

(iii) सर्वेक्षण लागत

तेल एवं गैस की खोज में संपादित सर्वेक्षण और संभावना तलाश क्रियाकलापों की लागतों को अन्वेषण लागत के रूप में उसी वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष में उन्हें व्यय किया जाता है।

(iv) विकासाधीन तेल और गैस परिसंपत्ति – निर्माणाधीन विकास कुएं

विकास कुओं से संबंधित सभी लागतों को प्रारंभ में ''निर्माणाधीन विकास कुए'' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और ''पूर्णता'' पर ''तेल और गैस परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत अंतरित कर दिया जाता है।

(v) उत्पादन लागत

उत्पादन लागत में सहायक उपस्कर एवं सुविधाओं के मूल्यह्रास एवं लागू प्रचालन लागतों सहित कूप–पूर्व शीर्ष एवं कूप–पश्चात शीर्ष व्यय सम्मिलित रहते हैं।

3.9 प्रतिभागिता अधिकारों से संबंधित अर्जन लागतों का क्षरण

क्षरण जॉच के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के प्रत्येक सीजीयू (अथवा सीजीयू के समूह) जिन्हें संयोजन की सहक्रियाओं से लाभ प्राप्त होना अपेक्षित है, को अर्जन लागत आवंटित किया जाता है।

कोई सीजीयू जिसे अर्जन लागत आवंटित किया जाता है, का वार्षिक रूप से क्षरण के लिए जॉच की जाती है, जब यह संकेत मिलता है कि उस सीजीयू मे क्षरण हो सकता है। यदि रोकड़ सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि इसके बही मूल्य से कम होता है, क्षरण हानि पहले उस इकाई को आवंटित किसी अर्जक लागत के बही मूल्य को कम करने के लिए आवंटित की जाती है और फिर इस इकाई के प्रत्येक परिसंपत्ति के बही मूल्य के आधार पर अनुपातिक आधार पर सीजीयू की अन्य परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाता है। अर्जन लागत के लिए स्वीकृत क्षरण हानि को बाद की अवधियों में वापस नहीं किया जाता है।

संबंधित सीजीयू के निपटान पर, अर्जन लागत पर आरोप्य बही मूल्य को निपटान पर लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

3.10 तेल और गैस परिसंपत्तियां

तेल एवं गैस परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित निःशेषण और क्षरण हानियों को घटाकर दर्शाया जाता है। जब किसी क्षेत्र/परियोजना में कोई कूप वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है, तब इन्हें प्रमाणित विकसित तेल एवं गैस भंडारों वाले क्षेत्र/परियोजना के वास्ते सृजित किया जाता है।

भूमि के अस्थायी अधिभोग, सफल अन्वेषणात्मक कूपों, सभी विकसित कूप (सेवा कूप सहित), वेधन हेतु प्रयुक्त सम्बद्ध उपस्कर पर मूल्यह्रास एवं अनुमानित भावी डिकमिशनिंग लागतों को पूंजीगत किया जाता है तथा इन्हें तेल एवं गैस संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तेल तथा गैस परिसंपत्तियों का निःशेषण "उत्पादन की यूनिट पद्धति" का उपयोग करते हुए किया जाताहै। निःशेषण की दर की गणना रक्षित संपत्ति मूल्य के निवल आकलित भावी डिकमिशनिंग लागत सहित संबंधित प्रमाणित विकसित भंडारों और संबंधित पूंजीगत लागतों (सिवाय अधिग्रहण लागत) पर विचार कर किसी क्षेत्र / परियोजना / परिशोधन आधार के संदर्भ में की जाती है। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत को प्रमाणित भण्डारों पर विचार करते हुए निःशेषण किया जाता है। इन भण्डारों का अनुमानन वार्षिक आधार पर मूल कम्पनी ओएनजीसी द्वारा गठित भण्डार आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय भण्डार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

3.11 साइड ट्रैकिंग

अन्वेषणात्मक कुएं के मामले में, साइड ट्रैकिंग की लागत के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी नए अन्वेषणात्मक कुएं पर व्यय की गई लागत के साथ। साइड ट्रैक किए गए अन्वेषणात्मक कुओं के परित्यक्त कूप की लागत को ''बट्टे खाते डाली गयी अन्वेषणात्मक कूप लागत'' के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

विकास कुएं के मामले में, परित्यक्त भाग और साइड ट्रैकिंग की समूची लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

उत्पादक कुओं और सेवा कुओं के मामले में, यदि साइड ट्रैकिंग अतिरिक्त प्रमाणित विकसित तेल तथा गैस भण्डारों में परिणत होती है या कार्य–निष्पादन के पूर्व में आकलित मानक से परे भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करती है, तो साइड ट्रैकिंग पर व्ययित लागत को पूंजीकृत किया जाता है, जबकि कुएं के परित्यक्त भाग की लागत का निःशेषण टिप्पणी 3. 10 में उल्लिखित लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है। अन्यथा साइड ट्रैकिंग की लागत को ''वर्क–ओवर व्यय'' के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

3.12 डिकमिशनिंग लागतें

डिकमिशनिंग लागतों में पुनःस्थापन की लागत शामिल होती है। डिकमिशनिंग लागतों हेतु प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी की किसी कुएं को प्लग तथा परित्याग करने, किसी सुविधा अथवा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद को हटाना हो और जिस स्थल पर वह स्थित था उसका पुनःस्थापन करने का कोई संविदात्मक, कानूनी या निर्माण संबंधी बाध्यता हो।

स्वीकृत राशि वर्तमान मूल्यों पर मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्धारित अनुमानित भावी व्यय है और डिकमिशनिंग की प्रत्याशित तिथि तक उपयुक्त मुद्रास्फीति दर का उपयोग करते हुए बढ़ाई जाती है और उपयुक्त जोखिम रहित बट्टा दर का उपयोग करते हुए संसूचना तिथि तक कम की जाती है।

इन अवधारणाओं में किसी तात्विक परिवर्तनों को समाहित करने के लिए इन आकलनों का वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है।

डिकमिशनिंग प्रावधान की समतुल्य राशि को संबंधित परिसंपत्तियों की लागतों के साथ स्वीकृति दी जाती है। शुष्क अन्वेषणात्मक कुएं से संबंधित डिकमिशनिंग लागत को अन्वेषणात्मक कूप लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

आवधिक छूट वापसी के अलावा प्राक्कलित डिकमिशनिंग व्यय के वर्तमान मूल्य में किसी परिवर्तन को संबंधित परिसंपत्ति के डिकमिशनिंग प्रावधान और बही मूल्य में समायोजित किया जाता है। यदि प्रावधान वापसी संबंधित परिसंपत्ति के बही मूल्य से अधिक होती है, आधिक्य राशि को लाभ और हानि स्टैंड अलोन लेखा विवरण में दर्शाया जाता है। प्रावधान पर छूट वापसी को लाभ और हानि के स्टैंड अलोन लेखा विवरण में वित्तीय लागत के रूप में प्रभारित किया जाता है।

तथापि, वास्तविक डिकमिशनिंग लागतें अंततः आवश्यक अनिवार्य डिकमिशनिंग कार्य के लिए भावी बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा जो संबंधित समय में बाजार स्थिति, यदि कोई हो, को परिलक्षित करेगा। इसके अलावा, डिकमिशनिंग का समय उस पर निर्भर करने की संभावना है जब फील्ड अर्थक्षम दरों पर उत्पादन करना बंद कर देता है।

संयुक्त प्रचालनों के अधीन आने वाली परिसंपत्तियों के मामले में डिकमिशनिंग लागत के लिए किए गए प्रावधान को कंपनी के प्रतिभागी हित के अनुरूप विचार किया जाता है।

3.13 मालसूची (इन्वेंट्रीज)

पाइपलाइन / टंकियों की मालसूची सहित और खनिज तेल तथा कन्डेसंट को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तैयार माल की लागत अन्वेषण लागत निर्धारण विधि से निर्धारित किया जाता है। मालसूची के मूल्य में रॉयल्टी भी शामिल होती है (जहॉ कहीं भी लागू हो)।

समूह एकत्रीकरण स्टेशनों (जीजीएस) पर अर्द्ध–परिशोधित कच्चे तेल को अवशोषण लागत पद्धति से अथवा शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

भंडारों की मालसूची और अतिरिक्त पूर्जों को भारित औसत लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

गैर–सेवायोज्य तथा निष्प्रयोज्य मदों के निर्धारण पर अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्य पर उनकी गणना की जाती है।

3.14 राजस्व स्वीकृति

राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वादा किया हुआ उत्पाद या सेवा किसी ग्राहक को हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई उत्पाद तब हस्तांतरित होता है जब ग्राहक उस उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो ग्राहक को अभिरक्षा हस्तांतरण की बिन्दु पर है जहॉ सामान्यतः स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य नियत हो या निर्धारण योग्य हो और प्राप्य की संग्रहणीयता तर्कसंगत रूप से आश्वासित हो।

ऐसी प्रत्येक बिक्री सामान्यतया एकल निष्पादन दायित्व को निरुपित करती है।

किसी सेवा से प्राप्त राजस्व को उस लेखांकन अवधि मे मान्य किया जाता है जिस अवधि में यह सेवा संविदात्मक रूप से सहमत दरों पर प्रदान की जाती है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य वस्तु के लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है और यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य राशि जो कारोबार के सामान्य संचालन में, छूटों और लागू करों इत्यादि के निवल राशि को निरुपित करता है। मूल्यों में किसी भूतलक्षी पुनरीक्षण को निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के समय आकलित किया जाता है। किसी और ट्रूअप को ऐसे पुनरीक्षण के वर्ष में अभिज्ञात किया जाता है।

कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियां, जिसमें कंपनी का अन्य उत्पादकों के साथ अधिकार है, से राजस्व को उस अवधि के दौरान उठायी गयी वास्तविक मात्रा के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को खनित तेल की हकदारी मात्रा और उठायी गयी मात्रा के बीच के किसी अंतर को, यदि धनात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा कम) होता है तो आनुपातिक उत्पादन व्यय को पूर्व भुगतान किया गया व्य माना जाता है और यदि ऋणात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा अधिक) होता है तो संयुक्त प्रचालन समझौता (जेओए) / उत्पादन साझीदारी करार (पीएसए) के अनुसार उत्पादन व्यय के कंपनी के आनुपातिक हिस्से के सर्वश्रेष्ठ आकलन के लिए एक लाभ एवं हानि विवरण में संगत परिवर्तन के साथ संगत प्रभार वाले कच्चे तेल की अधिक उठान मात्रा के निपटान के मद में एक देयता सृजित की जाती है।

3.15 विदेशी मुद्रा में लेन–देन

कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है जो प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें यह परिचालित होता है, की मुद्रा दर्शाता है।

इंड एएस 21 के अनुसार – कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में लेन–देन को लेन–देन की तिथियों को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिवस को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर मौद्रिक मदों जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक दरों पर मापा जाता है, को पुनः रूपांतरित नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को उस अवधि के लाभ तथा हानि के स्टैंड अलोन विवरण में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

वैसे मौद्रिक मदों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जो कंपनी के विदेशी प्रचालन में निवल निवेश के भाग होते हैं, को लाभ एवं हानि के स्टैंड अलोन लेखा विवरण में दर्शाया जाता है।

3.16 प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण

कंपनी ने इन एकल वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये ;ष्द्ध में प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अपने परिणामों और वित्तीय स्थितियों को व्यावहारिक मुद्रा (यूएसडी) से प्रस्तुति मुद्रा ;ष्द्धमें रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया है :

- प्रत्येक प्रस्तुत तुलन–पत्र के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य आरक्षित निधि को छोड़ कर) को तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर (31 मार्च 2020 को : 1 अमेरिकी डॉलर त्र् 75.48') पर रूपांतरित किया गया है;
- इक्विटी शेयर पूंजी, लंबित शेयर आवंटन के शेयरधारक अग्रिम सहित, को लेन–देन की तिथियों की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। पूंजीगत आरक्षित निधि को लेन–देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। अन्य आरक्षित निधियों को उस अवधि के दौरान, जिससे वह संबंधित है, की औसत विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रूपांतरित किया गया है।
- लाभ तथा हानि के प्रत्येक स्टैंड अलोन विवरण के लिए आय एवं व्यय को लेन–देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित कर प्रस्तुत किया गया है सिवाय कुछ मदों को, जिनके लिए उस अवधि के औसत विनिमय दरों (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष : 1 अमेरिकी डॉलर त्र् 70.9150') का उपयोग किया गया है।
- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को 'विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में विनिमय अंतर' के रूप में अन्य व्यापक आय में दर्शाया गया है, जिन्हें बाद में विदेशी प्रचालनों के निपटान पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

*भारतीय स्टेट बैंक के टेलिग्राफिक अंतरण क्रय और विक्रय दरों के औसत के आधार पर निर्धारित।

3.17 बीमा दावे

कंपनी के बीमा दावों का लेखा इस प्रकार होता है :

परिसंपत्तियों की कुल हानि के मामलों में या तो संबंधित परिसंपत्ति की बही लागत अथवा बीमा मूल्य (छूट के अध्यधीन) जो भी 'वसूली योग्य दावा – बीमा' शीर्ष के अंतर्गत कम है, बीमाकर्ता को सूचित कर अंतरित किए जाते है। जहां बीमा दावे से बही लागत से कम है, इस अंतर को लाभ तथा हानि लेखा मे प्रभारित किया जाता है।

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में, ऐसी परिसंपत्ति को उपयोग में लाने के लिए उपगत व्यय/भुगतान तीसरी पार्टी अथवा अन्य देयताओं (पॉलिसी छूट को कम करके), अगर कोई है तो, बीमाकर्ता से 'वसूली योग्य दावा–बीमा' माना गया है। बीमा पॉलिसी कटौतियां संगत व्यय वर्ष में व्यय की जाती हैं।

जब और ज्यों दावे बीमाकर्ता से प्राप्त होते हैं, प्राप्य दावे – बीमा और प्राप्त दावों के बीच अंतर, यदि कोई को स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि विवरण में समयोजित किया जाता है।

3.22 आय कर

आय कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कराधीन लाभ पर आधारित होता है। कराधीन लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में यथासूचित "कर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि किसी एक वर्ष में आय या व्यय की कर योग्य अथवा कटौती योग्य होने वाली मदें किसी अन्य वर्ष में कर योग्य तथा कटौती योग्य नहीं भी हो सकती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या व्यापक रूप से अधिनियमित कर दरों तथा नियमों का उपयोग करके की जाती है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रनीत राशियों तथा कराधेय लाभ की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर अभिज्ञात किया गया है। आस्थगित कर की देयताओं को सामान्यतया सभी कराधेय अस्थाई अंतरों के लिए अभिज्ञात किया गया है। आस्थगित कर की परिसंपत्तियों को सामान्यतया सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक अभिज्ञात किया गया है जहॉ तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जिसके उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिस अवधि में उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है, देयताओं का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय जहॉ राजकोषीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सेट–ऑफ का अधिकार है और इस तरह के शेष को निवल आधार पर निपटाने का इरादा है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है, जो उस तरीके का पालन करेगी जिस तरीके से कंपनी, रिपोर्ट अधीन अवधि के अंत में, अपनी आस्तियों और देनदारियों की अग्रनीत राशि पुनः प्राप्त करने या निपटान करने की अपेक्षा करता है।

आस्थगित कर की परिसंपत्तियों में भारत मे कर कानूनों के अनुसरण में संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) शामिल है जिससे आयकर की भावी देयता के विरुद्ध प्रतितुलन की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। तदनुसार, तुलन पत्र में मैट को आस्थगित कर की आस्ति के रूप में उस समय अभिज्ञात किया गया है, जब आस्ति को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है तथा इस बात की संभावना होती है कि आस्ति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

(iii) वर्ष का वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय

वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे ऐसी मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो, उस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्रदान की जाती है।

3.19 उधार लागतें

अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से पहचान की गई अथवा विशेषक परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित उधार लागतों को इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। विशेष अर्हक परिसम्पत्ति वह है जो अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है। सभी अन्य उधार लागतों को स्टैंड अलोन लाभ तथा हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है।

3.20 असमान्य रिग दिवस लागतें

असामान्य रिग दिवस लागतों को गैर–आबंटन योग्य के रूप मे ंमाना जाता है तथा इन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान बाध्यता (विधिक या तर्कसाध्य) हो और यह संभावना हो कि कंपनी द्वारा बाध्यता का निपटान अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चित्ताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान होता है। जब किसी प्रावधान का मापन वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाहों का उपयोग करके किया जाता है, तो इसकी अग्रनीत राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होता है (जब राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो)।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य हो।

आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है, यदि आर्थिक लाभ अंतर्ग्रस्त होने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह बहुत कम हो।

3.22 वित्तीय विलेख

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को मान्यता, कंपनी के विलेख के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनने पर की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का मापन प्रारंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। लेन–देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गम पर सीधे आरोप्य होते हैं, को प्रारंभिक मान्यता पर, यथा उपयुक्त, वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण को सीधे आरोप्य संव्यवहार लागतों को स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल मान्यता प्रदान की जाती है।

3.23 वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) नकदी तथा नकदी समतुल्य

कंपनी सभी अत्यधिक नकदी वाले वित्तीय विलेखों, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में तत्काल परिवर्तनीय होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के अत्यल्प जोखिमों के अधीन होते हैं तथा जिनकी मूल परिपक्वता क्रय तिथि से तीन माह अथवा कम समय की होती है, को नकदी समतुल्य मानती है। नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंकों में शेष राशि आती है जो आहरण तथा उपयोग हेतु अप्रतिबंधित होते हैं, जब तक अन्यथा कथित न हो।

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन बाद में परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके किया जाता है यदि ये वित्तीय आस्तियां उसी व्यापार में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान है।

(iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से किया जाता है यदि ये वित्तीय आस्तियां उसी व्यापार में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री करना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान है।

(iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसका मापन परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर प्राारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से न किया जाए।

(अ) वित्तीय परिसंपत्तियों को विमान्य करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाए, अथवा जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को और व्यापक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को किसी अन्य पक्ष को अंतरित कर दे।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पूर्ण रूप से विमान्य किए जाने पर (सिवाय अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट इक्विटी विलेखो (एफवीटीओसीआई) के लिए, परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि और प्राप्त और प्राप्य के योग के बीच अंतर को स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(vii) लाभांश और ब्याज

निवेशों से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब शेयरधारकों का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।

वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रारंभिक मान्यता पर लागू प्रभावी ब्याज दर पर मान्यता दी जाती है। विलंबित प्राप्ति पर ब्याज के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में तर्कसंगत निश्चितता हो।

3.24 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

(क) कर्ज अथवा इक्विटी लिखतों के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा निर्गत कर्ज और इक्विटी विलेखों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय देयताओं और किसी इक्विटी विलेख की परिभाषाओं के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इक्विटी विलेख

एक इक्विटी विलेख किसी ऐसी संविदा को कहते हैं जिसमें किसी कंपनी की परिसंपत्तियों में से इसकी सभी देयताओं की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट हित का साक्ष्य होता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशि पर मान्यता दी जाती है। नये साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य वृद्धिशील लागतों को कर प्रभावों के निवल इक्विटी से एक कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

ग) वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर किया जाता है।

नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज मुक्त ऋणों को संवितरण की तिथि को उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है और उचित मूल्य निर्धारण के अंतर को नियंत्रक कंपनी से स्वीकृत पूंजी योगदान के रूप में मान्य होता है। नियंत्रक कंपनी से प्राप्त मान्य पूंजीगत योगदान को इक्विटी परिवर्तन विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

देयता घटक को प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पद्धति पर लेखांकित किया जाता है। यदि ऋण का पहले पुनर्भुगतान हो जाता है तो पहले मान्य नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान की अनुपातिक राशि को समायोजित किया जाता है।

(घ) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

कंपनी केवल और केवल अपने दायित्वों के निपटान, निरस्त या समाप्त होने पर ही वित्तीय देयताओं को विमान्य करती है। विमान्य की गई वित्तीय देयता के वहन मूल्य और प्राप्त तथा प्राप्य प्रतिफल की राशि के रूप में मान्यता प्राप्त अंतर को लाभ एवं हानि के स्टैंड अलोन विवरण में मान्यता दी जाती है।

3..25 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जनों की गणना कर पश्चात निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की

भारित औसत संख्या द्वारा भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जन की गणना कर पश्चात लाभ को आधारभूत अर्जन प्रति शेयर निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी की जा सकने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत सख्या को भी भाग देकर की जाती है।

3.26 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके सूचित किया जाता है जिसके द्वारा वर्ष हेतु लाभ को किसी गैर–नकदी प्रकृति के संव्यवहारों, पूर्व या भविष्य की प्रचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के विलंबन अथवा प्रोद्भवन और नकदी प्रवाहों के निवेश या वित्त–पोषण से संबद्ध आय या व्यय की मद हेतु समायोजित किया जाताहै। नकदी प्रवाह को प्रचालन, निवेश तथा वित्त पोषण क्रियाकलापों में पृथक किया जाता है।

निवेश और वित्तपोषण लेनदेन जिनके लिए नकद और नकद समतुल्य की आवश्यता नहीं होती है, को नकद प्रवाहों से बाहर रखा जाएगा। ऐसे लेनदेन को वित्तीय विवरणों में कहीं और इस प्रकार से प्रकटन किया जाएगा ताकि वह ऐसे निवेशों और वित्तपोषण गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक सूचना प्रदान करे।

3.27 खंड प्रतिवेदन

प्रचालन खंडों की उस खंड को आवंटित किए जाने वाले संसाधनों के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जोखिमों और प्रतिफलों, आंतरिक प्रतिवेदन प्रणालियों और उस आधार पर जिस पर प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, की पहचान की जाती है और संसूचित किया जाता है।

4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, मान्यताएं और अनिश्चित्ता के अनुमानन के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त कई लेखांकन नीतियों के उपयोग में निर्णय लेने, अनुमान तथा मान्यताओं को लेने की प्रबंधन की आवश्यकताएं अंतर्निहित हैं जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और राजस्व तथा व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम प्रयुक्त अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। लेखांकन मानकों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमान संशोधित होते हैं तथा भविष्य की अवधियां प्रभावित होती हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निर्णय, मान्यताओं तथा अनुमानन अनिश्चित्ता के प्रमुख स्रोत जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की अग्रनीत राशि में कोई महत्वपूर्ण समायोजन कर सकते हैं, वे कार्यात्मक मुद्रा, तेल तथा गैस भंडारों, क्षति, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवनकाल, तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के निःशेषण, मौजूदा न किए जाने के प्रावधान, कर्मचारी लाभ बाध्यताओं, प्रावधान, आयकर हेतु प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मापन से संबंधित हो सकते हैं।

कोविड – 19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनि ितताओं का आकलन

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड–19 से संबंधित महामारी से उत्पन्न हो सकता है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करने में, क्योंकि इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि में क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार से भिन्न हो सकता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

उन अनुमानों (टिप्पणी 4.2 देखें) को शामिल करने के अलावा प्रबंधन द्वारा कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया मे निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाए गयी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

(क) व्यावहारिक मुद्रा का निर्धारण

कंपनी के प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, की मुद्रा ('व्यावहारिक मुद्रा') अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) है, जिसमे कंपनी मुख्य रूप से नकदी का सृजन और व्यय करती है। तदनुसार, प्रबंधन ने अपनी व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है।

(ख) तेल तथा गैस परिसंपतियों में क्षरण के संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोजनीयता के मूल्यांकन में बाहरी कारकों (परिसंपत्ति के मूल्य में भारी कमी, प्रौद्योगिकीय, बाजार, आर्थिक या विधिक परिवेश, बाजार ब्याज दरों में बड़े परिवर्तन आदि) और आंतरिक कारकों (किसी परिसंपत्ति का अप्रचलित होना या उसमें भौतिक क्षति, परिसंपत्ति का खराब आर्थिक निष्पादन आदि) का आकलन अपेक्षित होता है जो तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य मात्रा में बड़े परिवर्तनों में परिणत हो सकते हो।

(ग) अन्वेषणात्मक कूप

यह निर्धारण कि क्या किसी अन्वेषण कुएं द्वारा खोज किए गए संभाव्य आर्थिक तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडार आमतौर पर कूप पूर्णता के पहले वर्ष में हो जाते हैं, पर इसमें भू–वैज्ञानिक ढांचे की जटिलता पर निर्भर करते हुए अधिक समय भी लग सकता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस की संभाव्य आर्थिक मात्राओं की खोज करने वाले अन्वेषण कुएं तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां उत्पादन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रमुख पूंजीगत व्यय (जैसे कि कोई अपतटीय प्लेटफार्म अथवा पाइपलाइन), की आवश्यकता होगी, अथवा जहां प्रमुख पूंजीगत व्यय की आर्थिक व्यवहार्यता उस क्षेत्र में और अन्वेषण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करती हो, स्टैंड अलोन तुलन–पत्र में तब तक पूंजीकृत रहती है जब तक कि अतिरिक्त अन्वेषण या मूल्यांकन कार्य जारी हो अथवा उसकी ठोस आयोजना बनाई गई हो।

कई वर्षों तक तुलन–पत्र में अन्वेषण कुओं तथा अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कुओं का स्थगित रहना असमान्य नहीं है जबकि संभाव्य तेल तथा प्राकृतिक गैस फील्डों में अतिरिक्त मूल्यांकन ड्रिलिंग और भूकंपीय कार्य को निष्पादित किया जाता है अथवा ईष्टतम विकास योजनाओं तथा समय सारणी को स्थापित किया जा रहा होता है। ऐसी सभी वहन की जा सकने वाली लागतें कम से कम वार्षिक आधार पर नियमित तकनीकी, वाणिज्यिक तथा प्रबंधन समीक्षा के अधीन है ताकि खोज को विकसित करने या अन्यथा उससे मूल्य के निष्कर्षण हेतु सतत् मंशा की पुष्टि की जा सके। जहां ऐसा मामला न हो, लागतों को तत्काल व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

4.2 अनिश्चित्ता आकलन की मान्यताएं और प्रमुख स्रोत

वे आकलन और पूर्वानुमान जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की मान्यता तथा मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए गए हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) डिकमिशनिंग हेतु प्रावधान का आकलन

कंपनी तेल एवं गैस परिसंपत्तियों के आर्थिक कार्यकाल के अंत में उनकी भावी डिकमिशनिंग हेतु इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के सिद्धांतों के अनुसार डिकमिशनिंग के लिए प्रावधान का आकलन करता है। डिकमिशनिंग की इन गतिविधियों में से अधिकांश गतिविधियां भविष्य में होंगी, सटीक आवश्यकताओं को हटाने के समय पूरी करनी पड़ सकती है, में अनिश्चितता शामिल है। डिकमिशनिंग के लिए प्रौद्योगिकी एवं लागत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भावी नकदी प्रवाहों की राशि एवं समय महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी प्रवाहों को बट्टा करने मे प्रयुक्त ब्याज दर तथा मौजूदा लागत के अनुमानों को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति की दर के साथ भावी व्यय के समय एवं राशि की समीक्षा की जाती है। तेल एवं गैस की परिसंपत्ति की की दीर्घावधिक उत्पादन प्रोफाइल के आधार पर तेल एवं गैस की परिसंपत्तियों के अर्थक्षम जीवन काल का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) परिसंपत्तियों का क्षरण

यह निर्धारित करना कि क्या किसी सीजीयू में कोई क्षरण हुआ है, और कितना हुआ है, में भविष्य के मूल्यों, प्रचालन व्ययों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव, छूट दरों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की उत्पादन प्रोफाइल जैसे अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान अंतर्ग्रस्त होते हैं। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों हेतु प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों का अनुमान भविष्य के खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मूल्यों, उत्पादन तथा आरक्षित प्रमात्राओं के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों का उपयोग करके लगाया जाता है।

कपंनी के नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों का निर्धारण कर पूर्व छूट दरों को अनुप्रयोग कर किया जाता है जो प्रत्येक सीजीयू से संबंधित धन के समय मान और देयता के विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। खनिज तेल की बिक्री से भावी नकदी अंतर्प्रवाह की गणना ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार डेटेड ब्रेंट खनिज तेल के बाजार आधारित अग्रिम मूल्यों या स्वतंत्र प्रतिष्ठित अन्य पक्षकारों द्वारा ब्रेंट कुड ऑयल वायदा / पूर्वानुमान मूल्यों के

अनुसार और बेंचमार्क खनिज तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ इसके सहसंबद्ध के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक गैस की बिक्री से भावी नकदी प्रवाह की भी गणना संबंधित समझौतों और / अथवा बाजार अनुमान के अनुसार निर्धारित मूल्यों के आधार पर प्रत्याशित भावी मूल्यों के आधार पर की जाती है।

प्रयुक्त बट्टा दर एक स्थापित मॉडल से पूंजी की लागत पर आधारित होती है।

उत्पादनकारी / विकासशील सीजीयू के उपयोग मूल्य का निर्धारण प्रमाणित और संभावित भंडारो पर आधारित आकलित भावी नकद प्रवाहों पर विचार करते हुए किया जाता है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय मूल्यांकन / विकास की प्रत्याशित लागत के पूरे आकलन पर भी विचार किया जाता है।

उत्पादन प्रोफाइल का आकलन करने में कंपनी सभी संविदात्मक संभावित विस्तारों, जिन पर वे लाइसेंस की अवधि तक सीमित किए बिना अर्थक्षम रूप से उत्पादन योग्य होते हैं, पर विचार करते हुए पूरी अवधि में अपने भंडारों का आकलन करती है।

क्षरण गणना के आकलन में अनुप्रयुक्त बट्टा दरों का प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) भंडारों का आकलन

वर्ष के अंत में कंपनी के भंडारों का आकलन नियंत्रक कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की क्षेत्रीय आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है, जो सतत् रूप से अतर्राष्ट्रीय भंडार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

कंपनी अपने भंडारों का वार्षिक रूप से आकलन करती है और भंडारों का प्रकटन वित्त वर्ष के अंत में अर्थात् 1 अप्रैल को किया जाता है। इस कंपनी का गैर प्रचालक, संयुक्त प्रचालक और प्रचालक के रूप में भागीदारी हित के साथ पूरे विश्व में विभिन्न उत्पादनकारी और अन्वेषित परिसंपत्तियों में विश्व प्रमुख कंपनियों के साथ साझीदारी है। प्रत्येक परिसंपत्ति के प्रचालक / संयुक्त प्रचालक कंपनी वार्षिक आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों के भंडारों का मूल्यांकन करती है, और कंपनी के प्रतिनिधि तकनीकी / प्रचालन समिति बैठकों के माध्यम से उत्साह पूर्वक अंतःक्रिया करते हैं, जिनमें भंडारों के आकलन पर चर्चा की जाती है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अनुमोदित भंडारों की प्राप्ति पर, कंपनी मूल कंपनी ओएनजीसी के ई एंड डी निदेशालय के भंडार आकलन विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा करती है और इसे मूल कंपनी ओएनजीसी के निदेशक (अन्वेषण) की अध्यक्षता में भंडार आकलन समिति (आरईसी) के विमर्श और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

परिमाणात्मक आकलन, आकलन की मुख्य प्रक्रिया होती है जो इन–प्लेस हाइड्रोकार्बन की गणना करने के लिए कुंड चट्टानों और द्रव्य गुणधर्मों का उपयोग करती है और फिर यह आकलन करती है कि जो भाग एक दी हुई तिथि से, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के तहत, स्थापित प्रचालन संव्यवहारों और विद्यमान सरकारी विनियमों के तहत दोहन के परिमाण का आकलन करती है। ज्यों ज्यों वे क्षेत्र जिनका यूक्तिसंगत अच्छा उत्पादन इतिहास होता है, परिपक्व होते हैं, निष्पादन पद्धतियों जैसे सामग्री शेष, उत्प्रेरण, गिरावट आलेख विश्लेषण का भंडारों के सटीक आकलन के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। कई उत्पादनकारी और अन्वेषित परिसंपत्तियों के लिए जिनमें कंपनियों का पण होता है, संबंधित प्रचालक और संयुक्त प्रचालक कंपनियां विधिवत जॉच और लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

आकलनों का वार्षिक संशोधन वार्षिक अन्वेषणात्मक तथा विकास क्रियाकलापों और तत्संबंधी परिणामों पर आधारित होता है। नई इन–प्लेस मात्रा और अंतिम भंडारों का आकलन पहले से खोज किए गए क्षेत्रों में नई फील्ड खोजों या नई पूल खोजों हेतु लगाया जाता है। साथ ही मूल्यांकन क्रियाकलाप नए उप–सतह डाटा के कारण अनुमानों में संशोधन में भी परिणत होते हैं। इसी प्रकार, पेट्रो–भौतिक पैरामीटरों में बदलाव, स्थिर तथा परिवर्तनशील मॉडलों को अद्यतन करने और भंडारों में परिवर्तन में परिणत होने वाले निष्पादन विश्लेषण के कारण पुराने फील्डों हेतु पुनःव्याख्या क्रिया भी की जाती है। नई प्रौद्योगिकी के अंतर्क्षेप, वर्गीकरण तथा संविदात्मक प्रावधानों में परिवर्तन के चलते भी भंडारों के अनुमानन में संशोधन आवश्यक हो जाता है।

(घ) नकदी सृजक इकाई का निर्धारण (सीजीयू)

कंपनी मुख्यतः अभितट और अपतट में तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन का कारोबार करती है। उन फील्डों में जहां साझी उत्पादन / परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है और जहॉ पर्याप्त आर्थिक अंतर्निर्भरता है, उसे एकल नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) गठित माना जाता है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

5. अन्य संपत्ति, और संयंत्र और उपकरण

अग्रनीत राशि :	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
फर्निचर एवं जुड़नार	5.50
वाहन	1.04
कार्यालय उपकरण	0.02
कुल	6.56

लागत	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
15 अप्रैल, 2019 को शेष	–	–	–	–
साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन (टिप्पण 29 देखें)	4.96	1.09	0.52	6.57
अवधि के दौरान वर्द्धन	1.14	0.16	–	1.30
निपटान / समायोजन / अंतरण पर निरसन	–	–	–	–
विनिमय अंतर प्रभाव				
(देखें टिप्पणी सं. 5.1)	0.39	0.08	0.03	0.50
31 मार्च, 2020 को शेष	**6.49**	**1.33**	**0.55**	**8.37**

संचित मूल्यह्रास एवं क्षरण	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
15 अप्रैल, 2019 को शेष	–	–	–	–
साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन (टिप्पण 29 देखें)	–	–	–	–
मूल्यह्रास व्यय (0.21)	0.11	0.50	0.40	
निपटान/समायोजन/अंतरण पर निरसन	1.14	0.16	–	1.30
विनिमय अंतर प्रभाव				
(देखें टिप्पणी सं. 5.1)	0.06	0.02	0.03	0.11
31 मार्च, 2020 को शेष	**0.99**	**0.29**	**0.53**	**1.81**

5.1. वित्तीय विवरणों को व्यावहारिक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करने के कारण विनिमय अंतर को दर्शाता है। टिप्पणी 3.16 और 4.1 (क) देखें।

5.2. कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य भागीदारों के साथ परिसंघीय (कंसोर्टियम) रूप में आयोजक सरकारों के साथ समझौते के तहत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण, विकास और उत्पादन से संबंधित अपना व्यवसाय कर रही हैं। कार्य क्षेत्रों / परियोजनाओं में कंपनी की गतिविधियों के संचालन कर रहे ऐसे कई समझौतों में ये प्रावधान हैं कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों के अर्जन / प्रथम उपयोग पर अथवा ''लागत तेल'' और ''लागत गैस'' के आवंटन के माध्यम से इन लागतों की 100 प्रतिशत वसूली पर अथवा संबंधित संविदा क्षेत्रों के परित्याग या संबंधित समझौते के निरस्तीकरण पर इस प्रकारकी परिसंपत्तियों तथा अन्य सहायक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व आयोजक सरकार या इसके द्वारा नामित कंपनियों के नाम हस्तांतरित हो जाएंगे। तथापि, समझौतों की शर्तों के अनुसार, परिसंघ और/ अथवा ऑपरेटर के पास इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों की धारिता होती है और वह संबंधित समझौतों की संपूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क रूप से

पेट्रोलियम के संचालन के लिए इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों का निःशुल्क उपयोग करने का हकदार होता है। परिसंघ के पास इस प्रकार की परिसंपत्तियों का अभिरक्षण व अनुरक्षण अधिकार भी होता है और यह इनसे संबंधित सभी प्रकार के आकस्मिक घाटों व क्षतियों के जोखिमों को वहन करता है और इन परिसंपत्तियों का रखरखाव करने तथा इनके क्षतियों व हानियों की प्रतिपूर्ति व मरम्मत के लिए सभी आवश्यक लागतों को भी वहन करता है। इन सभी परिस्थितियों के तहत, इस प्रकार की परिसंपत्तियों को संबंधित समझौतों की वैद्यता अवधि के दौरान कंपनी के अभिलेखों में भी रखा जाता है।

5.3 प्रभारित मूल्यह्रास की गणना करते समय, अर्जन लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के अवशिष्ट मूल्य पर अन्य पीपीई की मूर्त मदों के लिए विचार किया गया।

6. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
क) तेल और गैस आस्तियां		
(ii) निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाएं		
प्रारंभिक शेष –		
अन्य समायोजन (टिप्पण 29 देखें)	**16,277.76**	
वर्ष के दौरान व्यय	11,101.40	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पण सं. 6.2 देखें)	1,762.47	**29,141.63**
घटाएं : संचयित क्षरण		
प्रारंभिक शेष –		
अवधि के दौरान प्रावधानित	–	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पण सं. 6.2 देखें)	–	
निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाओं की अग्रनीत राशि		**29,141.63**

6.1 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹42.12 मिलियन राशि की उधार लागत को निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाओं के तहत पूंजीकृत किया गया है। उधार ली गयी निधियों पर भारित औसत पूंजीकरण दर 3.39 प्रतिशत प्रति वर्ष है। मोजांबिक कारोबार से संबंधित विशेषक परिसंपत्तियां के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधार लागत पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। विवरण हेतु टिप्पण 29 देखें।

6.2 वित्तीय विवरणों को व्यावहारिक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करने के कारण विनिमय अंतर को दर्शाता है। टिप्पण 3.16 और 4.1 (क) देखें।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

7. निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियां

विवरण		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
क. निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप		
सकल लागत		
प्रारंभिक शेष –		
साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)	17,730.73	
अवधि के दौरान व्यय	412.19	
तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	–	
अवधि के दौरान बट्टे खाते डाली गयी (प्रतिलेखित कूप)	–	
विनिमय अंतर का प्रभाव (दिप्पण सं. 7.4 देखें)	1,167.91	**19,310.83**

घटाएं : संचित क्षरण		
प्रारंभिक शेष –		
अवधि के दौरान प्रावधान	–	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 7.4 देखें)	–	
निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों की अग्रनीत राशि		**19,310.83**

ख. खनिज अधिकार अधिग्रहित करने के लिए अर्जन लागत		
लागत		
प्रारंभिक शेष –		
साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)	1,81,825.09	
अवधि के दौरान व्यय	5126.42	
अवधि के दौरान बट्टे खाते डाली गयी अर्जन लागत	–	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिपपणी सं. 7.4 देखें)	12,034.60	**1,98,986.11**

घटाएं : संचित क्षरण		
प्रारंभिक शेष –		
साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)	17,499.66	
अवधि के दौरान प्रावधान	8,008.73	
अन्य समायोजन	–	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिपपणी सं. 7.4 देखें)	1,642.05	**27,150.44**
अर्जन लागत की अग्रनीत राशि		**1,71,835.67**

7.1 अर्जन लागत संपत्ति अथवा प्रमाणित या अप्रमाणित तेल एवं गैस संपत्तियों के खनिज अधिकार के अर्जन से संबंधित है, जो वर्तमान में अन्वेषण / विकास चरण में है; ऐसी लागतों को इस परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत पर तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाएगा अथवा अन्वेषण परियोजना के परित्याग के मामले में बट्टे खाते डाल दिया जाएगां।

7.2 ₹99.81 मिलियन की राशि की उधार लागत को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों में पूंजीकृत किया गया है। उधार ली गयी निधि पर भारित औसत पूंजीकरण दर 3.39 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

मोजांबिक कारोबार से संबंधित विशेषक परिसंपत्तियां के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधार लागत पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। टिप्पण 29 देखें।

7.3 ₹1,278.59 मिलियन की राशि की उधार लागत को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्जन लागतं में पूंजीकृत किया गया है। उधार ली गयी निधि पर भारित औसत पूंजीकरण दर 3.39 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

मोजांबिक कारोबार से संबंधित विशेषक परिसंपत्तियां के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधार लागत पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। टिप्पण 29 देखें।

7.4 वित्तीय विवरणों को व्यावहारिक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करने के कारण विनिमय अंतर को दर्शाता है। टिप्पण 3.16 और 4.1 (क) देखें।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

8. अन्य आस्तियां

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	गैर मौजूदा	मौजूदा
(क) कैरिड इंटरेस्ट		
–अप्रत्याभूत, अच्छे माने गए (टिप्पण 8.1 देखें)	8,996.35	–
(ख) पूर्व भुगतान		
– गारंटी प्रभार	–	–
– अन्य	–	0.02
कुल	**8,996.35**	**0.02**

8.1. कंपनी का विकास परियोजना एरिया – 1, मोजांबिक में प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) है। कैरिड समझौतों के अनुसार, कंपनी मोजांबिक राष्ट्रीय तेल कंपनी नएच (''कैरिड इंटरेस्ट'') की परियोजना में वित्तपोषण व्यय कर रही है, जिसे अप्रत्याभूत अच्छे माने गये श्रेणी के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

9. मालसूची (इन्वेंट्री)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	गैर–मौजूदा	मौजूदा
स्टोर और कलपूर्जे (टिप्पण 26.1.3 देखें)	231.51	231.51
घटाएं : अप्रचलित / अचर मालसूची		
कुल		**231.51**

10. नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
बैंक में उपलब्ध शेष		9.88
रोकड़ शेष		–
कुल		**9.88**

11. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी शेयर पूंजी		10.00
		10.00
अधिकृत :		
10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर		10.00
जारी और अभिदत्त :		
10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर		10.00
पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर :		
10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर		10.00
कुल		**10.00**

11.1 प्रतिवेदनाधीन अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	शेयरों की संख्याशेयर पूंजी (मिलियन रु में)	
15 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार शेष	–	–
वर्ष के दौरान निर्गम	1,000,000	10.00
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	**1,000,000**	**10.00**

11.2 इक्विटी शेयरों की भार्ते / अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक मत प्रति शेयर का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

कंपनी के परिसमापन की दशा में इक्विटी शेयरों के धारक, सभी अधिमानी राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष आस्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

11.3 प्रतिवेदनाधीन अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	शेयरों की संख्याशेयर पूंजी (मिलियन रु में)	
15 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार शेष	—	—
वर्ष के दौरान निर्गम	1,000,000	10.00
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	**1,000,000**	**10.00**

11.4 आवंटित बोनस शेयर की कुल संख्या, नकदी में भुगतान किए बिना संविदा के अनुसरण में आवंटित शेयर और प्रतिवेदन तिथि के ठीक 5 वर्ष पहले की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या : शून्य।

11.5 शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा या प्रतिबद्धता के तहत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर : शून्य

11.6 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक भोयर धारित करने वाले भोयरधारकों के विवरण इस प्रकार हैं :–

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयरधारिता
नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी लिमिटेड एवं इसके नामिती	1,000,000	100 प्रतिशत

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

12. अन्य इक्विटी

विवरण	**31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार**	
क. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान		49,480.86
(टिप्पण 12.1 देखें)		
ख. आरक्षित निधि और अधिशेष		
–पूंजीगत आरक्षित निधि		23,441.40
–प्रतिधारित आय		(73,841.59)
ग. विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने से उत्पन्न विनिमय अंतर (टिप्पणी 12.2 देखें)		(121.02)
		(1,040.35)
विवरण	**31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार**	
(क) पूंजी आरक्षित निधि	–	
अवधि के प्रारंभ में शेष		
साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)		23,441.40
वर्ष के अंत में शेष		**23,441.40**
(घ) प्रतिधारित आय		
अवधि के प्रारंभ में शेष		–
अवधि में लाभ / (हानि)		(7,907.39)
निर्धारित हितलाभ दायित्व के पुनर्मापन से उत्पन्न अन्य		–
व्यापक आय, आय कर के निवल मोजांबिक कारोबार के स्थानांतरण के कारण प्रतिधारित आय का समायोजन (टिप्पण 29 देखें)		(67,595.89)
अधिनिगमन तिथि से कारोबार स्थानांतरण तक		1,661.69
समायोजन का पुनर्कथन सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		–
अवधि के अंत में शेष		**(73,841.59)**
(ड) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर		
अवधि के प्रारंभ में शेष		–
विदेशी प्रचालनों के निस्तारण पर पूनर्वर्गीकृत		–

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
वर्ष के दौरान परिवर्तन		(121.02)
वर्ष के अंत में शेष		**(121.02)**

12.1 नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत अंशदान के रूप में दर्शायी गयी₹ 49,480.86 मिलियन की राशि में निम्नलिखित शामिल है :

(i) ₹48,052.03 मिलियन की इक्विटी प्रति अग्रिम के मद में

(ii) ब्याज मुक्त ऋण के उचित मूल्य के मद में ₹1428.83 मिलियन

12.2 वित्तीय विवरणों को व्यावहारिक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करने के कारण विनिमय अंतर को दर्शाता है। टिप्पण 3.16 और 4.1 (क) देखें।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

13. उधार

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा
अप्रत्याभूत – परिशोधित लागत पर		
(i) नियंत्रक कंपनी से ऋण	1,78,493.97	
कुल	**1,78,493.97**	

13.1 नियंत्रक कंपनी से ऋण

कंपनी ने मोजांबिक कारोबार के अधिग्रहण हेतु ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (मूल कंपनी) से ऋण लिया है। सामान्य स्थिति में यह ऋण उस परियोजना से नकद प्रवाह की राशि से प्रतिदेय जिसके लिए संबंधित निधियां ली गयीं हैं। तथापि, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास न्यूनतम 15 माह की अवधि का नोटिस देकर पुनर्भुगतान की मांग करने का अधिकार है। कंपनी ने ऋण की ऐसी ब्याज मुक्त अवधि के संबंध नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत अंशदान अभिज्ञात किया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

14. अन्य वित्तीय देयताएं

(जहाँ कहीं भी लागू है, परिशोधित लागत पर)

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा
प्रचालक (टोटल) को देय	–	1,211.69
नियंत्रक कंपनी को देय	–	0.92
ब्याज उपचयित परंतु देय नहीं	–	–
– ऋण	–	–
अन्य *	–	1,383.93
कुल	–	**2,596.54**

*संयुक्त प्रचालनों में कार्यशील पूंजी में कंपनी के हिस्से को दर्शाता है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

15. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

निम्नलिखित स्टैंड अलोन तुलन पत्र मे प्रस्तुत आस्थगित कर आस्तियों (देयताओं) का विश्लेषण है :

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियां	2,622.94
आस्थगित कर देयताएं	52,094.11
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**49,471.17**

विवरण	साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन (टिप्पण 29 देखें)	अवधि के लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पण 15.1 देखें)	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
	1	2	3	4	(1+2+3+4)
निम्न से संबद्ध आस्थगित कर (देयताएं) / आस्तियां					
आस्थगित कर आस्तियां					
प्रावधान (प्राप्य)	–	–	–	–	–
अग्रेणित हानियां – मूल्यह्रास	–	2,462.83	–	158.54	2,621.37
अग्रेणित हानियां कारोबार हानि	–	1.48	–	0.10	1.57
अप्रयुक्त कर जमा	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–
कुल आस्थगित कर आस्तियां	–	**2,464.31**	–	**158.63**	
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अमूर्त	48,602.33	2,573.33	–	982.95	52,159.11
विदेशी करें	–	–	–	–	–
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के	–	–	(65.00)	–	(65.00)
रूपांतरण पर विनिमय अंतर					
कुल आस्थगित कर देयताएं	**48,602.33**	**2,573.33**	**(65.00)**	**982.95**	**52,094.11**
निवल आस्थगित कर देयताएं	**48,602.33**	**109.52**	**(65.00)**	**824.32**	**49,471.17**

15.1 व्यावहारिक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में वित्तीय विवरणों के रूपांतरण के कारण विनिमय अंतर को निरूपित करते हैं। टिप्पण 3.16 एवं 4.1 (क) देखें।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

16. अन्य मौजूदा देयताएं

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक भुगतानों के लिए देयता	0.04
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	–
अन्य देयताएं **	1.08
कुल	**1.12**

**बकाया एमएसएमई देय शून्य है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

17. उत्पादन, परिवहन, बिक्री एवं वितरण व्यय

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
कारोबार विकास और अन्य प्रकीर्ण व्यय	3.71
कुल	**3.71**

कंपनी ने 1 जनवरी, 2020 से नियंत्रक कंपनी से संयुक्त प्रचालन में प्रतिभागिता अधिकार प्राप्त किए हैं। कंपनी साझी सेवाओं हेतु एक सेवा करार करने की प्रक्रिया में है। परिणामस्वरूप, प्रदान की गयी विभिन्न सुविधाओं जैसे, कार्यालय स्थान, कर्मचारी, परियोजनाओं के स्थलेत्तर पर्यवेक्षण और संबद्ध सेवाएं जो निष्पादित होनी जारी रही जैसे ये इस परियोजना के प्रतिभागिता अधिकार के अंतरण के पूर्व चल रहे थे, के लिए प्रतिवेदनाधीन अवधि के वित्तीय विवरणों में नियंत्रक कंपनी के किसी भी व्यय को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

17.1 प्रकृतिवार व्यय का ब्यौरा :

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
(i) वृत्तिक प्रभार	2.82
(ii) टेलिफोन और टेलेक्स	0.02
(iii) प्रकीर्ण व्यय (टिप्पण 17.3 देखें)	0.87
कुल	**3.71**

17.2 कंपनी के प्रचालन भारत से बाहर हैं और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रयोजन के लिए इस अवधि का पात्र निवल लाभ ''शून्य'' होगा। कंपनी ने भारत से बाहर या संयुक्त प्रचालनों के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के दम कोई व्यय नहीं किया है।

17.3 टिप्पण 17.1 (iii) में दर्शाए गए प्रकीर्ण व्यय में निम्नवत सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक शामिल है :

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
लेखा परीक्षा शुल्क	0.35
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	–
कुल	**0.35**

17.4 कंपनी ने 1 जनवरी, 2020 से नियंत्रक कंपनी से संयुक्त प्रचालन में प्रतिभागिता अधिकार प्राप्त किए हैं। कंपनी साझी सेवाओं हेतु एक सेवा करार करने की प्रक्रिया में है। परिणामस्वरूप, प्रदान की गयी विभिन्न सुविधाओं जैसे, कार्यालय स्थान, कर्मचारी, परियोजनाओं के स्थलेत्तर पर्यवेक्षण और संबद्ध सेवाएं जो निष्पादित होनी जारी रही जैसे ये इस परियोजना के प्रतिभागिता अधिकार के अंतरण के पूर्व चल रहे थे, के लिए प्रतिवेदनाधीन अवधि के वित्तीय विवरणों में नियंत्रक कंपनी के किसी भी व्यय को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

18. मूल्यह्रास, निःशेषण, परिशोधन और क्षरण

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
तेल एवं गैस परिसंपत्तियों का निःशेषण	–
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मुल्यह्रास	0.40
उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	–
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	–
कुल	**0.40**

19. वित्त पोषण लागत

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
निम्न पर ब्याज व्यय	
– नियंत्रक कंपनी से ऋण	1,420.52
घटाएं : अर्हकारी परिसंपत्तियों की लागत में शामिल राशि	1,420.52
	–
कुल	–

उधार ली गयी निधियों पर भारित औसत पूंजीकरण दर 3.39 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

उधार लागत पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से मोजांबिक कारोबार से संबंधित विशेषक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप शुरू हुआ।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

20. अन्य लाभ

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
विनिमय दर परिवर्तन हानि (निवल)	0.79
कुल	**0.79**

21. अपवादात्मक (आय)/व्यय

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
क्षरण	8,008.73
कुल	**8,008.73**

21.1 अवधि के दौरान अभिज्ञात क्षरण

नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) के संबंध में क्षरण आकलन वार्षिक आधार पर उपयोग अधीन मूल्य के आधार पर किया जाता है और उपयुक्त क्षरण गुंजाईश अभिज्ञात की गयी थी।

कंपनी ने उपयोग मूल्य पद्धति के आधार पर अपनी नकदी सृजक इकाईयों (सीजीयू) के संबंध में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार क्षरण परीक्षण किया गया था। कंपनी ने क्षरण निर्धारित किया है और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 8,008.73 मिलियन रुपये का एक क्षरण प्रावधान किया है। क्षरण के लिए वर्तमान वर्ष के प्रावधान को अपवादात्मक मद के रूप में विचार किया गया है।

संबंधित सीजीयू के निम्नलिखित 2पी भंडारों पर क्षरण आकलन के लिए विचार किया गया है।

सीजीयू	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार प्रमाणित और संभावित भंडार (एमएमटीओई)
एरिया 1, मोजांबिक	

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

22. कर व्यय

(क) लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात कर प्रभार/(क्रेडिट)

विवरण	**31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार**
निम्न से संबंद्ध मौजूदा कर	
– मौजूदा अवधि	–
– विगत अवधि	–
	–
आस्थगित कर मौजूदा अवधि से संबंधित	(109.52)
कुल	**(109.52)**

इस अवधि के आय कर व्यय को निम्नवत लेखा लाभ से मिलान किया जा सकता है :

विवरण	**31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार**
सतत प्रचालनों से कर पूर्व लाभ	(8,016.91)
आय कर व्यय की गणना 34.944 प्रतिशत की दर पर की गयी है (31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए : 34.944 प्रतिशत)	(2,801.43)
भिन्न दरों पर लगाए गए आय कर के प्रभाव (पूंजीगत लाभ)	–
पूर्व अवधि के करों के संबंध में कर प्रभाव	–
विदेशी अधिकार क्षेत्र के लिए अतिरिक्त कर	–
विनिमय दर परिवर्तन के कारण रुपया कर आधार पर	2691.91
प्रभाव	
अन्य	
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	**(109.52)**

उपर्युक्त वित्त वर्ष 2019– 20 मिलान के लिए प्रयुक्त कर दर आय कर कानूनों के तहत कर योग्य लाभों पर भारत में कॉरपोरेट निकायों द्वारा देय कर दर 34.944 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने ''कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019'' के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक जोड़ा है, जिसके तहत घरेलू कंपनी पास बाद के वर्षों में सेट ऑफ के लिए पात्र मैट क्रेडिट सहित कुछेक कर कटौतियों और प्रोत्साहनों के परिणामी त्याघना के साथ एक निम्नतर कॉरपोरेट कर दर का उपयोग करने का अप्रतिसंहरणीय विकल्प है। कंपनी ने अभी भी इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और मौजूदा प्रावधानों की तुलना में निम्नतर कॉरपोरेट दर का विकल्प चुनने के लाभ का मूल्यांकन कर रहा है। इस विकल्प के प्रयोग के लंबित रहते हुए कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के आय पर करों को अभिज्ञात करना जारी रखा है।

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन	–
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने में विनिमय अंतर	65.00
अन्य व्यापक आय मे अभिज्ञात कुल आयकर	**65.00**
अन्य व्यापक आय मे अभिज्ञात आयकर का विभाजन :–	
मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	–
मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा	65.00

23. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य वर्ष के लिए लाभ (₹मिलियन में)	(7,907.39)
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मिलियन में)	1.00
प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी	1.00
शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या मिलियन में)	
प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन (₹)	(7,907.39)
प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन (₹)	(7,907.39)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

24. खंड रिपोर्टिंग

24.1. उत्पाद और सेवाएं जिनसें रिपोर्ट योग्य खंड अपने राजस्व प्राप्त करते हैं

कंपनी ने विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणालियों और वे आधार जिन पर उस खंड को संसाधन आवंटित करने के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा करती है, को ध्यान में रखते हुए, प्रचालन खंडों की पहचान की है और रिपोर्ट किया है। कंपनी ने निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को रिपोर्ट योग्य खंडों के रूप में पहचान की है :

क. मध्य पूर्व और अफ्रिका

24.2 खंड राजस्व और परिणाम

24.2.1 रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा सतत प्रचालनों से कंपनी के राजस्व और परिणामों का एक विश्लेषण नीचे दिया गया है :

विवरण	खंड राजस्व	खंड लाभ (हानि)
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका		(8,012.95)
कुल		(8,012.95)
अनावंटित कॉरपोरेट व्यय		(3.96)
वित्त पोषण लागत		–
ब्याज / लाभांश आय		–
कर पूर्व लाभ		**(8,016.91)**

24..2.2. ऊपर सूचित खंड राजस्व वाह्य ग्राहकों से सृजित राजस्व को दर्शाता है। वर्तमान वर्ष में कोई अंतर .खंड बिक्री नहीं हुई थी (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष : शून्य)।

24.2.3. रिपोर्ट योग्य खंडों की लेखांकन नीतियां टिप्पणी 3.27 में वर्णित कंपनी की लेखांकन नीतियों के समान है। खंड परिणाम प्रत्येक खंड द्वारा वित्त लागत तथा ब्याज/लाभांश आय जैसी अन्य आय को छोड़कर अर्जित कर.पूर्व लाभ को दर्शाता है। यह संसाधन आवंटन और खंड निष्पादन के प्रयोजनों हेतु मुख्य प्रचालक निर्णयकर्ता को सूचित किया गया उपाय है।

24.3. खंड आस्तियां एवं देयताएं

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
खंड परिसंपत्तियां	
मध्य पूर्व और अफ्रिका	229,522.56
कुल खंड आस्तियां	229,522.56
अनावंटित	9.89
कुल आस्तियां	**229,532.45**
खंड देयताएं	
मध्य पूर्व और अफ्रिका	2,596.54
कुल खंड देयताएं	2,596.54
अनावंटित	227,966.26
कुल देयताएं	**230,562.80**

खंड निष्पादन और खंडों के बीच संसाधन आवंटित की निगरानी करने के प्रयोजन से :

24.3.1. सभी देयताओं को ऋण और वर्तमान तथा आस्थगित कर देयताओं के अन्य रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

24.3.2. सभी देयताओं को ऋण और वर्तमान तथा आस्थगित कर देयताओं के अतिरिक्त अन्य रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

24.3.3 खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में प्रत्येक खंड को चिन्हित संबंधित राशियां तथा तर्कसंगत आधार पर आवंटित राशि शामिल है। आवंटित न किए गए व्यय में सभी खंडों हेतु व्यय किया गया आम व्यय और निगमित स्तर पर किए गए व्यय शामिल होते हैं।

24.4. अन्य खंड सूचना

विवरण	बट्टे खाते डाली गयी अन्वेशण लागत सहित मूल्यह्रास, निःशेषण और परिशोधन	अन्य गैर नकदी मदें – प्रावधन बट्टे खाते और क्षरण
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	3.68	–
अनावंटित	–	–
	3.68	–

24.5 क्षरण हानि

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका		8,008.73
अनावंटित		–
		8,008.73

24.6 गैर मौजूदा आस्तियों में वर्द्धन

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका		8,008.73
अनावंटित		–
		8,008.73

24.7. भौगोलिक क्षैत्रों के बारे में सूचना :

यह कंपनी भारत में अधिवासित है, हालांकि कंपनी भारत से बाहर तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन करने के लिए तेल एवं गैस रकबों की तलाश और अधिग्रहण करती है।

वित्तीय विलेखों को छोड़कर कुल गैर मौजूदा आस्तियों और कर आस्तियों को आस्तियों के स्थान के अनुसार अलग अलग नीचे दर्शाया गया है :

स्थान	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
भारत	–
अन्य देश	229,291.04
कुल	**229,291.04**

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

25. संबंधित पक्षकार प्रकटन

25.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंध का विवरण :

क. मूल नियंत्रक कंपनी

1. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

ख. नियंत्रक कंपनी

1. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

ग. मुख्य प्रबंधन कार्मिक

ग.1. कार्यात्मक निदेशक

1. श्री विवेकानंद, निदेशक, 19 मई, 2020 तक
2. श्री जी एस चतुर्वेदी, निदेशक, 19 मई, 2020 तक
3. श्री आलोक कुमार गुप्ता, निदेशक
4. श्रीमती रेखा मिश्रा, निदेशक
5. श्री आर गुहान, निदेशक

25.2 लेनदेन का विवरण

25.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि
क. जिनसे सेवाएं प्राप्त की गयीं :		
अ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.84
ख. जिनसे ऋण लिया गया		
अ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण लिया गया	168,671.80
ब. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	–
ग. इक्विटी		
अ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	जारी की गयी इक्विटी	10.00
ब. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी	49,480.86
घ. गैर नकदी लेनदेन (इंड एएस उचित मूल्यांकन)		
अ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ब्याज व्यय	1,420.52
ङ. कारोबार की खरीद (टिप्पण 29 देखें)		
अ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	कारोबार खरीद 212,953.56	

25.2.2 नियंत्रक कंपनी में बकाया भोश

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि
क. ऋण :		
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण	178,493.97
ख. अन्य		
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.92

25.3 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों के साथ लेनदेन का प्रकटन

इस वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों से कोई लेनदेन नहीं किया गया है, सिवाय जैसा ऊपर प्रकट किया गया है।

टिप्पण : कारोबार अधिग्रहण के संबंध में लेनदेन की राशि को कार्यात्मक मुद्रा (''अमेरिकी डॉलर'') में दर्ज किया गया है और परिणामी राशि को लेनदेन की तिथि के विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा ('भारतीय रुपये'') में दर्ज किया गया है। तथापि, अंतिम परिसंपत्ति और देयता शेष को वर्ष अंत की विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा में पुनर्कथित किया गया है। इसलिए, कुछेक मामलों में, लेनदेन की राशि प्रस्तुति मुद्रा में बकाया शेष में वापस नहीं होने की संभावना हो सकती है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

26. संयुक्त व्यवस्थाओं में अधिकारों का प्रकटन :

26.1 संयुक्त प्रचालन

कंपनी के संयुक्त प्रचालनों के विवरण इस प्रकार हैं :

परियोजना का नाम और प्रचालन का देश	प्रतिभागी कंपनी	अन्य संघ सदस्य	प्रचालक	परियोजना राज्य
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक, अपतट	10 प्रतिशत	टोटल – 26.5 प्रतिशत, मित्सुइ – 20 प्रतिशत, ईएनएच – 15 प्रतिशत, बीपीआरएल – 10 प्रतिशत, बीआरईएमएल – 10 प्रतिशत, पीटीटीईपी – 8.5 प्रतिशत	टोटल	यह परियोजना निर्माण अधीन है

प्रयुक्त संकेताक्षर :

टोटल – टोटल ई एंड पी मोजांबिक एरिया 1, लि., मित्सुइ – मित्सुइ एंड कं. लिमिटेड, ईएनएच – इन्ग्रेस नेचुरल डि हाइड्रोकार्बन; बीपीआरएल – भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, बीआरईएमएल – ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लिमिटेड, पीटीटीईपी – पीटीटी पेसिफिक कंपनी लिमिटेड।

26.1.1 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

मद	मौजूदा आस्तियां	गैर–मौजूदा आस्तियां	मौजूदा देयता	गैर मौजूदा देयता	कुल राजस्व	जारी प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
अनंकेक्षित									
ब्लॉक एरिया, मोजांबिक	231.52	220,291.04	2,507.66	–	–	(7,507.39)	–	(128.02)	(8,028.41)
कुल योग	231.52	220,291.04	2,507.66	–	–	(7,507.39)		(128.02)	(8,028.41)

26.1.2 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय सूचना इस प्रकार है :

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	नकदी और नकदी समतुल्य	मौजूदा वित्तीय देयताएं	गैर–मौजूदा वित्तीय देयता	मूल्यह्रास, निःशेषण और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज आय	आय कर व्यय या ब्याज
अनंकेक्षित							
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक	0.01	2,595.54	–	0.40	–	–	–
सकल योग	0.01	2,595.54	–	0.40	–	–	–

26.1.3 ऑपरेटर से प्राप्त अनंकेक्षित संयुक्त अधिकार बिलिंग विवरण, जिनके अंतर्निहित दस्तावेज ऑपरेटर पर उपलब्ध, के आधार पर संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं मे कंपनी के हिस्से को कंपनी के वित्तीय विवरणों में समरूप मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

27. वित्तीय विवरण

27.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्दे य निम्नलिखित होता है :

- कंपनी की चालू समुत्थान क्षमता को संरक्षित रखना ताकि कंपनी हितधारकों को प्रतिआय प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुॅचा सके; और
- कंपनी ऋण और इक्विटी संतुलन की एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखे।

कंपनी एक सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित रखते हुए शेयरधारकों हेतु मूल्य संवृद्धि के लक्ष्य में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी वित्तीय संरचना बनाए रखे। पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांशों की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापसी कर सकती है, नये शेयर जारी कर सकती है या कर्ज कम करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकती है।

कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी का निवल कर्ज (नकदी और बैंक शेष द्वारा टिप्पण 13 में यथा वर्णित उधारों का प्रतिसंतुलन) और कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

27.1 कर्ज और इक्विटी अनुपात

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कर्ज और इक्विटी अनुपात

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
कर्ज (टिप्पण 13 देखें)	178,493.97
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पण 10 देखें)	9.88
निवल कर्ज	178, 484.09
कुल इक्विटी (टिप्पण 11 और 12 देखें)	(1,030.35)
निवल कर्ज और कुल इक्विटी का अनुपात	– 17322.67 प्रतिशत

27.2 वित्तीय विलेखों की श्रेणियों

वित्तीय परिसंपत्तियां

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	
(क) नकदी और नकद समतुल्य	**9.88**

वित्तीय देयताएं

मद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	
(क) उधार	178,493.87
(ख) व्यापार में भुगतान की जाने वाली राशि–	
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	2,596.54

27.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करते हुए, कंपनी का प्रबंधन जोखिम अनावरण का स्तर और परिमाण का विश्लेषण कर कंपनी के प्रचालनों से संबंधित मुख्य वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन भी करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और नकदी जोखिम शामिल हैं।

27.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम संभावित बाजार मूल्य परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला जोखिम या अनिश्चितता और व्यापार के भावी प्रदर्शन पर उनका प्रभाव है। बाजार जोखिम के प्रमुख घटक वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल है।

कंपनी की मोजांबिक परियोजना अभी विकास चरण में है, इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय खनिज तेल मूल्यों से कोई जोखिम अनावरण नहीं है। खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन कंपनी के भावी नकदी प्रवाहों के मूल्य को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में व्यापक तथा लंबे समय तक कमी का कंपनी के सूचित परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

27.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। कंपनी विभिन्न विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करती है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी प्रचालनों के कारण मुद्रा दर उतार–चढाव से अनावृत है।

27.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम से अनावृत है क्योंकि कंपनी नियंत्रक कंपनी से परिवर्तनीय ब्याज दर पर निधि उधार लेती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों से कंपनी के अनावरण इस टिप्पण के नकदी जोखिम प्रबंधन खंड में विस्तार से वर्णित किया गया है।

27.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम नकदी और नकदी समतुल्यों, निवेशों और बैंक जमाओं और साथ ही साथ ग्राहकों से उत्पन्न होता है, जिसमें प्राप्य भी शामिल है। वर्तमान में कंपनी की मोजांबिक परियोजना विकास चरण में है और इसलिए ग्राहकों से प्राप्य से कोई ऋण जोखिम नहीं है।

बैंक शेष प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थाओं में जमा हैं।

27.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

कंपनी नकदी जोखिम का प्रबंधन बैंक जमा सहित नकदी तथा नकदी तुल्यों की पर्याप्त धनराशि रख कर और बैंक से प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियन के लिए उपलब्धता और जब देय हो बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मूल कपनी से उधार लेकर करती है। प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के आधार पर नकदी स्थिति तथा नकदी तथा नकदी तुल्यों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करती है। इसके अलावा, नकदी प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों तथा देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान और स्टैंडअलोन तुलन पत्र नकदी अनुपातों की निगरानी करके दायित्वों को पूरा करने हेतु आवश्यक नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाहों का प्रक्षेपण भी शामिल है।

निम्नलिखित सारणी सहमत पुनर्भुगतान अवधि में कंपनी की गैर – व्यूत्पन्न वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता को रेखांकित करती है। सारणी में शामिल सूचना को कंपनी द्वारा अपेक्षित भुगतान हेतु सबसे पहली तिथि पर आधारित वित्तीय देयताओं के गैर आयजन्य नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार किया गया है। इस सारणी में ब्याज तथा मूलधन दोनों नकदी प्रवाह शामिल हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे पहली तिथि पर आधारित है जिसमें कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अपेक्षित है।

	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्श	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अंकित राशि
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार							
परिशोधित लागत पर मापे गए							
अस्थिर दर उधार							
बैंक से अल्पावधिक ऋण	–	–	–	–	–	–	
वित्त पट्टा दायित्व	–	–	–	–	–	–	–
व्यापार प्राप्य	–	–	–	–	–	–	–
गैर रिकॉर्स आस्थगित ऋण (निवल)	–	–	–	–	–	–	–
प्रचालकों को देय	–		1,211.69	–	–	1,211.69	1,211.69
उत्पादन साझीदारी करार के विस्तार के लिए देय बोनस	–	–	–	–	–	–	–
नियंत्री कंपनी को देय	–	–	0.92	178,493.97	–	178,493.97	178,493.97
अनुषंगी कंपनियों – को देय	–	–	–	–	–	–	
आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं का जमा	–	–	–	–	–	–	–
प्रोद्भूत ब्याज	–	–	–	–	–	–	–
अन्य (अन्य वित्तीय देयताएं)	–	–	1,383.93	–	–	1,383.93	1,383.93
कुल	–	–	**2,596.54**	**178,493.97**	–	**181,090.51**	**181,090.51**

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

27.9 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पण इस संबंध सूचना प्रदान करता है कि कंपनी किस प्रकार से विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण करती है।

27.10 कंपनी की वित्तीय आस्तियों के वे उचित मूल्य जिन्हें आवृर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है

कंपनी की कुछ वित्तीय आस्तियों को प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी इन वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य निर्धारण की पद्धति के बारे में सूचना प्रदान करती है।

विवरण	उचित मूल्य	उचित मूल्य अनुक्रम	मूल्यांकन तकनीक(कें) और मुख्य आदान (नें)
	31 मार्च, 2020		
वित्तीय आस्तियां			
नियंत्री कंपनी से ऋण	178,493.97	स्तर 2	ब्याज दर विभेदक मॉडल

27.11 वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य वह मूल्य है जो उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (परंतु उचित मूल्य प्रकटन आव यक होता है)

प्रबंधन मानता है कि वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की अग्रनीत राशियां वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात की जाती हैं सिवाय टिप्पण 27.10 के अनुसार उनके उचित मूल्यों का लगभग अनुमान लगाने के लिए।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

28. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

28.1 आकस्मिक देयताएं

28.1.1 माध्यस्थम / न्यायालय / अन्य में संविदाकारों के दावे :₹ शून्य

28.1.2 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि	5,784.03
(ख) प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम	–
कुल	**5,784.03**

बजट में शामिल की गयी पूंजी प्रतिबद्धताएं ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त विवरण पर आधारित है।

28.2 आकस्मिक परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
आकस्मिक परिसंपत्तियां	927.93

28.2.1 आकस्मिक परिसंपत्तियां तुलन पत्र तिथि तक कैरिड वित्त (ईएनएच) के संबंध में ब्याज को निरूपित करती हैं, जो टिप्पण 3.23 (पअ) में उल्लिखित लेखांकन नीति के अनुरूप अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता पर अभिज्ञात की जाएगी।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

29. मोजांबिक कारोबार की खरीद (साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन)

(क) पृष्ठभूमि, अनुमोदन, समय–सीमा इत्यादि निहित प्रावेशिक पैरा

कंपनी ने ओएनजीसी विदेश (''नियंत्रक कंपनी'') से एक कारोबार हस्तांतरण करार (बीटीए) के जरिए मोजांबिक कारोबार (दस प्रतिशत (10:) प्रतिभागिता अधिकार का समनुदेशन) अधिग्रहित किया जिसमें चालू समुत्थान के रूप में संयुक्त प्रचालन करार (जेओए) के तहत रोप्य अधिकार और हित शामिल हैं। ओएनजीसी विदेश ने खनिज संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय (एमआईआरईएमई), मोजांबिक सरकार को कारोबार हस्तांतरण योजना दाखिल की थी, जिसके लिए 2 अगस्त 2019 को अनुमोदन प्राप्त हो गया था। इसके अलावा, एक 29 अगस्त 2019 को आयोजित नियंत्रक कंपनी के सदस्यों की 54वीं वार्षिक आम बैठक में ऊपर उल्लिखित हस्तांतरण के लिए एक शेयरधारक संकल्प परित किया गया है। नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी 448वीं बोर्ड बैठक में 1 जनवरी, 2020 की लेनदेन तिथि के रूप में उक्त लेनदेन को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, ओवीआरएल के निदेशक मंडल ने 21 अक्तूबर, 2019 को आयोजित अपनी तीसरी बोर्ड बैठक में उक्त लेनदेन को अनुमोदित किया है।

ख) अंतरक कंपनी से अंतरिती कंपनी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों और देयताओं, जारी किए जाने वाले भोयरों, मोजांबिक कारोबार की खरीद के अनुसरण में लिए गए ऋण और पूंजीगत आरक्षित निधि में हस्तांतरित रा ियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

विवरण	1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार (अमे. डॉलर)	1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार (भारतीय रूपये)*
गैर मौजूदा परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		
अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.11	7.91
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य		
तेल एवं गैस परिसंपत्तियां		
निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाएं	331.70	23,660.45
विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		
प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कूप	254.43	18,148.71
अधिग्रहण लागत	2,371.48	1,69,157.41
अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	109.41	7,804.57
वर्तमान परिसंपत्तियां		
इन्वेंट्री 3.46 247.06		
वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15.10	1,077.11
कुल परिसंपत्तियां	**3,085.69**	**2,20,103.22**
इक्विटी और देयताएं		
इक्विटी		
अन्य इक्विटी	**(947.65)**	**(67,595.89)**
देयताएं		
गैर मौजूदा देयताएं		
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**681.37**	**48,602.33**

वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	**37.88**	**2,701.81**
कुल इक्विटी और देयताएं	**(228.40)**	**(16,291.75)**

परिसंपत्तियों और देयताओं के अंकित मूल्य :

कंपनी को हस्तांतरित निवल परिसंपत्तियां	**3,314.10**	**2,36,394.96**
घटाएं: भविष्य में जारी किए जाने वाले और इक्विटी माने जाने वाले शेयरों की निश्चित संख्या (10 रुपये प्रति शेयर की दर पर 4,427,345,343 शेयर)	**620.68**	**44,273.45**
घटाएं : ओवीएल को देय ब्याज युक्त मांग ऋण	**2,364.79**	**168,680.11**
पूंजी आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि (15 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के दौरान प्राप्त लाभ/किए गए व्यय सहित)	**328.63**	**23,441.40**

*भारतीय रुपये में रूपांतरण के लिए मान्य लेनदेन दर की तिथि

ग) यह एक गैर नकदी लेनदेन है (लेखांकन नीति की टिप्पण संख्या 3.26 देखें)

घ) ओएनजीसी विदेश से मोजांबिक कारोबार के कंपनी के अधिग्रहण को साझा नियंत्रण अधीन कारोबार संयोजन माना गया है क्योंकि यह कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी ने इंड एएस 103 साझा नियंत्रण अधीन निकायों का कारोबार संयोजन के परिशिष्ट ग में यथा विहित साझा नियंत्रण अधीन कारोबार संयोजन के अधिग्रहण के संबंध में अधिकार समुच्चयन पद्धति अपनायी है।

इस प्रकार, 31 मार्च, 2020 को और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में अधिग्रहित कारोबार के वित्तीय विवरण को शामिल किए गए हैं, जैसे कि उन्हें शुरू से ही, अर्थात् 15 अप्रैल 2019 से संयोजित किए गए हैं।

30. **तेल और गेस उत्पादनकारी गतिविधियों (इंड एएस) के लिए लेखांकन संबंधी मार्गद र्ी टिप्पण के अधीन प्रकटन**

तेल और गेस उत्पादनकारी गतिविधियों (इंड एएस) के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण के अनुसार, प्रमाणित और प्रमाणित विकसित भंडारों के हिस्से का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। चूँकि कंपनी की मोजांबिक परियाजना विकास चरण में है, कंपनी ने प्रमाणित भंडारों में अपने हिस्से का आकलन नहीं किया है।

31 **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

ये वित्तीय विवरण 11 जून, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

बोर्ड की ओर से

(रेखा मिश्रा)
निदेशक

(आर गुहान)
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 06591एन
ह0

(अनुज सोमानी)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 511267

सीान : नई दिल्ली
तिथि : 11 जून 2020

फॉर्म संख्या एमजीटी 11 - परोक्षी के लिए फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में)

सीआईएनः **यू 11201 डीएल 2019 जीओआई 348673**

कंपनी का नाम : **ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : **प्लॉट नं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070**

सदस्य (सदस्यों) के नाम :

पंजीकृत पता :

ई मेल आई डी :

फोलियो संख्या :

मैं / हम, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के .....शेयरों के सदस्य (सदस्यों) केरूप में, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति

1 नाम : ..... ई मेल आई डी : .....

पता : ..... हस्ताक्षर : .....

अथवा उनके उपस्थित नहीं रहने पर

2. नाम : ..... ई मेल आई डी : .....

पता : ..... हस्ताक्षर : .....

अथवा उनके उपस्थित नहीं रहने पर

3 नाम : ..... ई मेल आई डी : .....

पता : ..... हस्ताक्षर : .....

को दिनांक ....., 2020 को ..... बजे बोर्ड कक्ष, 5वां तल, टॉवर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन, प्लॉट सं. 5ए – 5बी, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली – 110 070 में आयोजित कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक और तत्संबंधी कार्य – स्थगन में मेरी / हमारी ओर से उपस्थित होने और ऐसे संकल्पों पर, जो नीचे दर्शाए गए हैं मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए मेरे / हमारे परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ / करते हैं :

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष में	विपक्ष में
साधारण कार्यवाही (कार्यवाहियां) :			
1	अंकेक्षित वित्तीय विवरणों, बोर्ड रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने और उसे स्वीकृति प्रदान करना		
2	सांविधिक लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक का निर्धारण		
विशेष कार्यवाही (कार्यवाहियां) :			
3	श्रीमती रेखा मिश्रा की निदेशक के रूप में नियुक्ति		
4	श्री विवेकानंद की निदेशक के रूप में नियुक्ति		
5	श्री मधुकर मोहन की निदेशक के रूप में नियुक्ति		

राजस्व टिकट चिपकाएं

..... 2020 के ..... दिवस को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर .....

परोक्षी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर .....

टिप्पणी :

1) कृपया संबंधित संकल्पों के सामने उपयुक्त कॉलम में 'X' का निशान लगाएं। यदि आप किसी भी या सभी संकल्पों के सामने 'समर्थन में' या 'विपक्ष में' कॉलम रिक्त छोड़ देते हैं तो, आपके परोक्षी जैसा वे उचित समझतें हैं / समझती हैं, उस प्रकार से मत देने के हकदार होंगे / होंगी।

2) परोक्षी का यह प्रपत्र प्रभावी होने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित होना और पूरी तरह भरा जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

ओवीआरएल
OVRL
ONGC VIDESH
ROVUMA LIMITED

NOTES

वार्षिक रिपोर्ट
2019-2020

ओवीआरएल
OVRL
ONGC VIDESH
ROVUMA LIMITED

पंजीकृत कार्यालय

दीनदयाल ऊर्जा भवन

प्लॉट सं. 5ए–5बी

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

दूरभाष : 91 11 26754316, ई–मेल : secretariat@ovrl.in

सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673